

मुकदमों का विवरण

मुकेश सिंह बनाम.

राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2015 की अपराधिक अपील संख्या 1554) 24 अगस्त, 2023

[एम. एम. सुंदरेश और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्दे:

(i) क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी के नेतृत्व में की गई अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि की है और इस तरह कथित अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को लागू किया है?;

((ii) क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है कि उसे टी. आई. पी. के संचालन से पहले ही चश्मदीद गवाहों को दिखाया गया था और ऐसी परिस्थितियों में, टी. आई. पी. उसके खिलाफ सबूत बनाने से कम नहीं होगा?;

((ग) क्या कोई अभियुक्त इस टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है कि जाँच अधिकारी इस आधार पर जाँच करने का प्रस्ताव रख सकता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. के अधीन होने से इनकार कर सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है?;

((iv) न्यायालय टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ किस हद तक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है? क्या इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के आधार पर, क्या न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह ऐसी पहचान के लिए किसी भी पुष्टि के बिना विचारण न्यायालय के समक्ष पहचान के मूल साक्ष्य को स्वीकार करे?;

(v) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 ए का वास्तविक उद्देश्य क्या है?;

886 887

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

((vi) क्या निचली अदालतों को अपीलार्थी दोषी के खिलाफ अपराध साबित करने वाली परिस्थितियों में से एक के रूप में अपीलार्थी दोषी के आवास से अवैध हथियार और मुद्रा नोटों की खोज पर भरोसा रखने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था?

परीक्षण पहचान पत्र परेड-क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है कि उसे टी. आई. पी. के संचालन से पहले ही चश्मदीद गवाहों को दिखाया जा चुका है:

आयोजित किया गया:स्वयं को टी. आई. पी. के अधीन करते समय अभियुक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है या कोई साक्ष्य कार्य भी नहीं करता है-यह एक सकारात्मक कार्य और यहां तक कि एक स्वैच्छिक कार्य भी हो सकता है, लेकिन केवल एक सीमित सीमा तक, जब अभियुक्त को उस स्थान पर लाया जाता है जहां टी. आई. पी. आयोजित किया जाना है-यह निश्चित रूप से उसका साक्ष्य कार्य नहीं है-संबंधित अभियुक्त के पास टी. आई. पी. का सामना करने का विरोध करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है, यह कहते हुए कि गवाहों को या तो पुलिस स्टेशन में या अदालत में उसे देखने का मौका था, हालाँकि, ऐसे आधार पर ही वह टी. आई. पी. का सामना करने से इनकार नहीं कर सकता है-आरोपी के लिए हमेशा यह खुला रहता है कि वह टी. आई. पी. की वैधता या पाठ्यक्रम में उसके साक्ष्य मूल्य के संबंध में उसके लिए उपलब्ध किसी भी कानूनी आधार को उठाए। [पैरा 35]

परीक्षण पहचान पत्र परेड-क्या टी. आई. पी. संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत किसी आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

आयोजित किया गया:संविधान के अनुच्छेद 20 (3) द्वारा जो वर्जित है वह एक अभियुक्त के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कार्यों की मजबूरी से प्राप्त करना है-यह सच है कि एक अभियुक्त को एक परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा

सकता है, लेकिन इस मजबूरी में कोई सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कार्य शामिल नहीं है-उसकी केवल उपस्थिति या एक परीक्षण पहचान परेड में उसके शरीर की प्रदर्शनी का परिणाम तब तक कोई साक्ष्य कार्य नहीं होता है जब तक कि उसे किसी अन्य एजेंसी द्वारा पहचाना नहीं जाता है-एक गवाह द्वारा उसकी पहचान करना उसका कार्य नहीं है, भले ही उसके शरीर को इस उद्देश्य के लिए प्रदर्शित किया गया हो-यदि किसी अभियुक्त से साक्ष्य प्राप्त करने में जबरदस्ती की मांग की जाती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है।[पैरा 26 और 35]

888 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

टेस्ट आइडेंटिफाई कैशन परेड-टेस्ट आइडेंटिफाई कैशन परेड अदालत में गवाह की पहचान की पुष्टि प्रदान करती है:

आयोजित किया गया:यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मूल साक्ष्य अदालत में पहचान का प्रमाण है और परीक्षण पहचान परेड अदालत में गवाह की पहचान के लिए पुष्टि प्रदान करती है, यदि आवश्यक हो-हालाँकि, अदालत में पहचान के साक्ष्य के साथ कितना वजन जोड़ा जाना चाहिए, जो एक परीक्षण पहचान परेड से पहले नहीं है, यह तथ्य अदालतों के लिए जांच करने का मामला है।[पैरा 48]

टेस्ट आइडेंटिफाई कैशन परेड-जहाँ एक अभियुक्त ने स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया:

आयोजित किया गया:एक ऐसे मामले में जहाँ एक आरोपी ने स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया, उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि अदालत में पहली बार दिए गए चश्मदीद गवाहों के बयान, जिसमें वे विशेष रूप से अपराध करने में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी ओर इशारा करते हैं, पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए-ऐसी याचिका उपलब्ध है बशर्ते कि अभियोजन पक्ष स्वयं टी. आई. पी. आयोजित नहीं करने के लिए जिम्मेदार हो-हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ आरोपी स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करता है, अभियोजन पक्ष के पास अन्य सभी मामलों की तरह सामान्य तरीके से आगे बढ़ने और गवाहों की गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दर्ज की जाती है।[पैरा 70]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.54A-टेस्ट आइडेंटिफाई कैशन परेड-दायित्व यू/एस।54 एक सी. आर. पी. सी.:

आयोजित किया गया:दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) में धारा 54 ए की शुरुआत, एक आरोपी को पहचान के लिए खड़े होने का दायित्व है-एक आरोपी इस आधार पर खुद को टी. आई. पी. के अधीन करने का विरोध नहीं कर सकता है कि उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है या उसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है-यदि किसी आरोपी साक्ष्य से जबरदस्ती करने की मांग की जाती है, जिसे उसकी ओर से सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत निहित संवैधानिक गारंटी उसकी रक्षा के लिए कदम उठाएंगी-हालाँकि, यदि वह साक्ष्य आरोपी की ओर से किसी भी सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम के बिना प्राप्त किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का कोई आवेदन नहीं होगा-आरोपी खुद को टी. आई. पी. के अधीन करते समय टी. आई. पी. का उत्पादन नहीं करता है।[पैरा 35] 889

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

परीक्षण पहचान पत्र परेड-टी. आई. पी. का महत्व और प्रमाणिक मूल्य:

आयोजित किया गया:ऐसे तथ्य जो किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं, जिसकी पहचान प्रासंगिक है, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के आधार पर हमेशा प्रासंगिक होते हैं-'पहचान' शब्द का अर्थ है यह साबित करना कि न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति, विषय या वस्तु वही है जो उस पर आरोप लगाया गया है या माना गया है-पहचान लगभग हमेशा राय या विश्वास का विषय होता है।[पैरा 37]

टेस्ट आइडेंटिफाई कैशन परेड-इसका उद्देश्य:

आयोजित किया गया:जाँच अधिकारी अदालत में मामला भेजने से पहले, उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपराध करने के आरोपी व्यक्ति हैं-यदि वे गवाहों को जानते होते, तो गवाह अपने नाम देते और इससे उनकी पहचान स्थापित होती, लेकिन जब वे ज्ञात नहीं होते, तो उनकी पहचान तभी स्थापित की जा सकती थी जब गवाह उन्हें देखकर कहते कि वे अक्षम हैं-क्योंकि एक गवाह के लिए यह कहना बहुत आसान होगा कि सच्चाई के लिए बहुत कम सम्मान है, यह कहना कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अक्षम था, उसका सामना निर्दोष लोगों के साथ किया जाता है-

अगर वह उसे चुनता है, तो इससे उसके बयान की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी कि वह अक्षम था-यह पहचान का प्राथमिक उद्देश्य है।[पैरा 40 और 41]

दंड संहिता, **1860**-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-दोषी यू/एस. एस. को दोषी ठहराया।**302, 392, 394, 397** और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:अपीलार्थी-दोषी ने कहा कि पीडब्लू-1 ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहली बार उसकी पहचान करने की स्थिति में था क्योंकि उसे **15.09.2008** पर उसे देखने का अवसर मिला था-ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी दोषी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उसे कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है-हालाँकि, राज्य ने कहा कि यह ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहचान के मूल साक्ष्य को त्यागने के लिए पर्याप्त या अच्छा आधार नहीं है-हालाँकि अपीलार्थी दोषी ने अपने आगे के बयान में यू/एस दर्ज किया।**313** सी. आर. पी. सी. ने कहा कि उन्होंने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि चश्मदीद गवाहों ने उन्हें पहले ही देख लिया था, फिर भी एक गंजे दावे के अलावा, इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए कोई अन्य आधार नहीं रखा गया था-यह एक लंबे समय से स्थापित कानून है कि यदि कोई गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय है, तो केवल यह तथ्य कि कोई पहचान पत्र परेड आयोजित नहीं की जा सकती थी और अपीलकर्ता दोषी था।

890

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

निचली अदालत के समक्ष पहली बार की गई पहचान गवाह के साक्ष्य को खारिज करने का कारण नहीं होगी-इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां आरोपी स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करता है, अभियोजन पक्ष के पास अन्य सभी मामलों की तरह सामान्य तरीके से आगे बढ़ने और गवाहों की गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दर्ज की जाती है-तत्काल मामले में, पी. डब्ल्यू.-1 ने अपने पहले बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि वह हमलावरों की पहचान कर सकता है, अगर उसे उसके सामने लाया जाता है और बयान देते समय उसने अदालत में सभी चार हमलावरों और अपराध में उनकी भूमिकाओं की पहचान की थी-इसके अलावा, जब अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया था, तो उसे कहा जाता है।**8** इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या अपीलार्थी दोषी द्वारा दिया गया बयान समकालीन रूप से या इस तरह के आचरण के पूर्ववर्ती एस के दायरे में आता है।**27** साक्ष्य अधिनियम का या नहीं-अपीलार्थी दोषी को कथित अपराध का दोषी ठहराने में विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क में कोई असंवेदनशीलता नहीं थी।[पारस **69,70,76** और **78**]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

राजेश बनाम हरियाणा राज्य (2021) 1 एससीसी **118**; मुंशी सिंह गौतम

(डी) और ओआरएस. वी.एम. पी. राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. **631**:[2004] 5 पूरक।एससीआर **1092**;

रमनभाई नारनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2000) 1 एस. सी. सी. **358**:[1999] 5 पूरक।एससीआर **41**;

मलखानसिंह बनाम एम. पी. राज्य (2003) 5 एस. सी. सी. **746**:[2003] 1 पूरक।एस. सी. आर. **443**; मुन्ना बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2003) 10 एस. सी. सी. **599**:

[2003] 2 पूरक।एस. सी. आर. **1048**-पर निर्भर।एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र एयर **1954** एस. सी. **300**:[1954] एससीआर **1077**; के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी **1**:[2017] 10 एससीआर **569**;

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रज्जू एयर **1971** एससी **708**; श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(1975) 3 एससीसी **495**:[1975] 2 एस. सी. आर. **622**; प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2011) 9 एस. सी. सी. **689**:[2011] 13 एस. सी. आर. **949**; प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14 एस. सी. सी. **88**:[2013] 10 एससीआर **51**; कानन और ओआरएस. वी.केरल राज्य

ए. आई. आर. **1979** एस. सी. **1127**; सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम राज्य

दिल्ली) (2010) 6 एससीसी **1**:[2010] 4 एस. सी. आर. **103**-संदर्भित।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

पीयर लाल शो बनाम राज्य ए. आई. आर. 1961 कैल 531; रवींद्र लक्ष्मण महादिक बनाम महाराष्ट्र राज्य 1997 सी. आर. आई. एल. जे. 3833-संदर्भित।

रेक्स बनाम क्रिस्टी, (1914) ए. सी. 545 (551); जॉन आर. मैनसन, कनेक्टिकट के सुधार आयुक्त बनाम नोवेल ए. ब्रैथवेट 432 यू. एस. 98 (1977); विलियम एस. एन. ई. आई. एल., वार्डन बनाम आर्ची नथानिएल बिगर्स 409 यू. एस. 188 (1972)

- संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1554।

2011 के सी. आर. एल. ए. सं. 1246 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2014 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

जायेश गौरव, सुश्री नंदिनी राय, सुश्री दीक्षा ओझा, फारुख रशीद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अलभाया धमीजा, शरत नांबियार, शैलेश मडियाल, डॉ. एन. विसकामूर्ति, श्रीकांत नीलप्पा तेरडाल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

न्यायाधीश जे. बी. पारदीवाला, जे.:

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, एक दोषी अभियुक्त के कहने पर की जाती है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1246 में पारित दिनांक 3 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 (उत्तर पश्चिम), रोहिणी, दिल्ली द्वारा 2009 के सत्र मामले संख्या 998 में पारित दिनांक 1 के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और दिनांक 2 के आजीवन कारावास की सजा पर आदेश को लागू किया, जिसमें अपीलकर्ता दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302,392,394 और 397 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

892 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

रोग होने का कारण

2. अपीलार्थी दोषी पर तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय (उत्तर पश्चिम), रोहिणी, दिल्ली की अदालत में आई. पी. सी. की धारा 392,394,397,307,302,411 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। आईडी1 पर सुबह लगभग 3:30 बजे पीडब्लू-1, अर्थात् सुशील कुमार (मूल प्रथम मुखबिर और घायल चश्मदीद गवाह) अपने दोस्त पप्पु (मृतक) और उनके भाई प्रदीप कुमार, पीडब्लू-4 के साथ आजादपुर सब्जीमंडी में थे। वे सब्जियां खरीदने के उद्देश्य से आजादपुर सब्जी मंडी में थे। आजादपुर सब्जी मंडी के डी ब्लॉक कोने से सब्जियां खरीदने के बाद वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े। जब पीडब्लू 1 और उसका दोस्त पप्पु डी ब्लॉक कोने में एसटीडी पीसीओ के पास पहुंचे, तो उन चार अभियुक्त व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया, जिन पर मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार इन चार अभियुक्त व्यक्तियों में अपीलार्थी भी शामिल था। अभियुक्तों में से दो लोगों ने रुपये छीन लिए। 14, 800/- पीडब्लू 1 की जेब से। पीडब्लू 1 की जेब से पैसे छीनने वाले दो आरोपी क्रमशः शरवण कुमार और पवन कुमार थे। जब पीडब्लू 1 ने विरोध किया, तो बर्फ से लैस अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर और उसके दोस्त पप्पु पर हमला कर दिया। अपीलार्थी दोषी और सह-अभियुक्त विजय

उर्फ कालिया पर आरोप है कि उसने पीडब्लू 1 के साथ-साथ उसके दोस्त पप्पु (मृत) के शरीर पर चोटें पहुंचाई हैं। लूटपाट के बाद और चोट पहुंचाने की प्रक्रिया में, चारों आरोपी घटना स्थल से भाग गए। जब बाजार में ट्रकों की आवाजाही कम हुई, तो पीडब्लू-1 ने पप्पु (मृतक) को घायल हालत में पड़ा देखा। दोनों को पीसीआर अधिकारियों से मदद मिली और उन्हें बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया। पप्पु ने अंततः दम तोड़ दिया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पीडब्लू 1 को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3. पीडब्लू 1 ने उपरोक्त घटना के संबंध में 2008 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) संख्या 186 16.08.2008 पर दर्ज की। 2008 की एफ. आई. आर. सं. 186 दिनांकित 16.08.2008 इस प्रकार है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“एफ. आई. आर. एन 0.186/2008, डी. ए. टी. ई. डी. 16.08.08

सुशील कुमार पुत्र श्री राम दास निवासी एच. No.190, मुकेश नगर, शाहदरा गली संख्या 3, बड़ी रामलीला मैदान, दिल्ली के पास, 42 वर्ष की आयु का वक्तव्य।

893

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 894

उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ उपरोक्त पते पर रहता हूं और मैं मेट्रो स्टेशन के पास के स्थान पर एक खुदरा सब्जी विक्रेता हूं। आज, आई. डी. 2 पर, मैं अपने दोस्त पप्पु पुत्र श्री शोकरन सिंह निवासी आई. डी. 1, भोलानाथ नगर, रेलवे लाइन के पास, सब्जी मंडी शाहदरा, दिल्ली के साथ आजादपुर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए पहुंचा। हमने डी ब्लॉक से कुछ सब्जियां खरीदीं और हम दोनों डी ब्लॉक आजादपुर मंडी से मुख्य द्वार की ओर जा रहे थे। फिर, सुबह लगभग 2 बजे, जब हम दोनों डी ब्लॉक कॉर्नर मेन रोड आजादपुर मंडी पहुंचे, तो चार लड़कों ने हमें घेर लिया और उनमें से दो लड़कों ने मेरी जेब में रखी हुई 800/- की राशि निकाल ली। मैंने और मेरे दोस्त पप्पु ने इसका विरोध किया। चारों लड़कों ने हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और उनमें से दो लड़कों ने कोई धारदार हथियार निकालकर पप्पु की छाती पर और मेरे बाएं हाथ पर और मेरी छाती पर हमला कर दिया और हमारे चिल्लाने पर चारों लड़कों ने हमसे राशि छीन ली और मौके से भाग गए। पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों ने हमें बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया। चारों लड़कों ने समान इरादे से मुझसे राशि लूट ली है और हमारे द्वारा आपत्ति जताने पर, हमें मारने के इरादे से, धारदार वस्तु से हमला करते हुए, हमें घायल कर दिया है। मैं पहचान लूंगा कि चार लड़के मेरे सामने आ सकते हैं या नहीं। आपने मेरे कथन के अनुसार मेरा बयान दर्ज किया है। सही होने के लिए इसे पढ़ें और संलग्न करें। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।”

[जोर दिया गया] 4. ऊपर उल्लिखित एफ. आई. आर. दर्ज होने पर, जाँच शुरू हुई। गुप्त सूचना के अनुसार, तीन सह-अभियुक्तों, विजय उर्फ कालिया, पवन कुमार और शरवन कुमार को डीडीए पार्क, दक्षिण आजादपुर, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अपीलार्थी दोषी को यहाँ 20.08.2008 पर गिरफ्तार किया गया।

5. जाँच के दौरान, जाँच अधिकारी ने अभियुक्त व्यक्तियों की जाँच पहचान परेड (टी. आई. पी.) आयोजित करने का निर्णय लिया। हालाँकि, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि अपीलार्थी दोषी ने इस आधार पर टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया कि उसे पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया जा चुका था।

6. अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि अपीलार्थी दोषी की गिरफ्तारी के बाद, उसने एक बयान दिया कि वह ऑफ-एनस का हथियार यानी बर्फ चुनने की स्थिति में होगा जिसे उसने एक में रखा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

उसके घर का कोना। कहा जाता है कि जाँच अधिकारी ने यहाँ अपीलार्थी दोषी के कहने पर ऑफ-एनस यानी आइस पिक के हथियार की खोज की है।

7. जाँच के समापन पर, ऊपर बताए गए अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था क्योंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य थे। अपीलार्थी दोषी और सह-अभियुक्त ने निचली अदालत द्वारा बनाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

8. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

श्री. नहीं। गवाह
का नाम

बयान का विवरण

सार्वजनिक गवाह/आँख गवाह **895**

1	सुशील कुमार (पीडब्लू1)	वह घटना का चश्मदीद गवाह है और घटना के दौरान उसे चोटें भी आई थीं। उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं पर बयान दिया है: 1. कि 16.08.2008 पर वह अपने दोस्त पप्पु के साथ सब्जियाँ खरीदने के लिए आजादपुर सब्जी मंडी आया था। 2. कि उन्होंने आजादपुर सब्जी मंडी के डी ब्लॉक से कुछ सब्जी खरीदी थी और आई. एन. गेट/मुख्य द्वार की ओर जा रहे थे और लगभग 3:30 बजे जब वे डी ब्लॉक कोने पर एस. टी. डी. पी. सी. ओ. के पास थे, तो उन्हें चार लोगों ने घेर लिया। 3. उस दो अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी जेब से Rs.14,800/- छीन लिया। उसने आरोपी शरवन कुमार और पवन की पहचान उन लोगों के रूप में की है जिन्होंने उससे पैसे छीने थे। 4. कि जब उसने
---	---------------------------	---

		विरोध किया, तो बर्फ की चुभन से लैस दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने उस पर और पप्पु पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने आरोपी विजय उर्फ कालिया की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है, जिसने उसे चाकू मारा था और आरोपी मुकेश की पहचान उस व्यक्ति के रूप में भी की है जो बर्फ की चुभन से लैस था। 5. कि आरोपी व्यक्तियों विजय और मुकेश ने पप्पु के व्यक्ति पर बर्फ की चोटों की सहायता से और उसे छाती और पेट के बाईं ओर तीन स्थानों पर और उसके दाहिने हाथ पर भी चोटें पहुंचाईं।
--	--	--

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 896 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

		6. कि पैसे छीनने के बाद आरोपी लोग भाग गए। 7. जब वह ट्रकों की तस्करी में फंस गया और जब वह तस्करी से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका साथी पप्पु भी सड़क पर घायल हालत में पड़ा हुआ था, जिस पर उसने अपने मोबाइल फोन नंबर 9210415252 से पीसीआर पर कॉल किया और
--	--	---

जनता से उन्हें अस्पताल ले जाने का अनुरोध किया।

8. कि उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया लेकिन नर्सिंग होम के गार्ड ने पुलिस मामले के बहाने उन्हें उसमें प्रवेश नहीं करने दिया और इस बीच, पीसीआर अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें बीजेआरएम अस्पताल ले गए।

9. उसने बीजेआरएम अस्पताल में पुलिस को अपना बयान दिया है जो Ex.PW1/A.

10 है। मुद्रा नोट का मूल्य Rs.1000 के दस मुद्रा नोट, Rs.500 के नौ मुद्रा नोट और Rs.100 के तीन मुद्रा नोट थे।

11. कि उसने रोहिणी अदालत परिसर में 15.09.2008 पर अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी जब अभियुक्त व्यक्तियों ने किसी अदालत में पेश किया था। 12. कि उसके खून से सने कपड़े अस्पताल में जब्त किए गए थे, जिसे उसने अदालत में पहचाना था, यानी छाती के बाईं ओर कट के साथ एक सफेद शर्ट जो Ex.P1 है और शर्ट में कट के अनुरूप एक कट वाली बनियान जो कि Ex. P. 2 है।

		13. कि घटना के एक महीने के भीतर उन्हें फिर से अस्पताल में बुलाया गया जब डॉक्टर ने उनके रक्त का नमूना लिया।
2	प्रदीप कुमार (पीडब्लू 4)	वह मृतक पप्पु का भाई है और घटना का कथित चश्मदीद गवाह भी है। उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों पर पदच्युत किया है: 1. कि <ID1] को वह अपने भाई पप्पु और एक सुशील के साथ सुबह लगभग 3 बजे सब्जी खरीदने के लिए आजादपुर सब्जी मंडी आया और पप्पु और सुशील सब्जियां खरीदने के लिए डी ब्लॉक की ओर गए जबकि वह प्याज के शेड की ओर गया। 2. सुबह करीब साढ़े तीन बजे उसने देखा कि चार लड़कों ने उसके भाई पप्पु और दोस्त सुशील को घेर लिया था और उनमें से एक ने अपने भाई का पर्स निकाल लिया था।

		उसकी जेब से और जब उसके भाई ने आपत्ति जताई तो आरोपी मुकेश और विजय (जिसे गवाह ने अदालत में उनकी ओर इशारा करके सही तरीके से
--	--	--

पहचाना है, लेकिन नाम से नहीं) ने उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बर्फ की चुभन से प्रहार किया और अन्य दो आरोपी जिन्होंने उसके भाई को घेर लिया था और सुशील ने पैसे निकाल लिए थे। 3. उसने अदालत में आरोपी पवन और सरवन की ओर इशारा करके उनकी सही पहचान की है। 4. उस आरोपी ने सुशील और पप्पु को जोरदार झटका दिया, जिस पर उसने शोर मचाया और उसके बाद चारों आरोपी डी ब्लॉक की ओर भाग गए, जिस पर किसी ने

No.100 पर पुलिस को सूचित किया और पुलिस वहां आई और उसके भाई और सुशील को बीजेआरएम अस्पताल ले गई। 5. कि वह घटना के बारे में सूचित करने के लिए अपने घर गया और बाद में जब उसे पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है तो वह मौके पर वापस आ गया। 6. उस मृतक पप्पु के पास काले रंग का पर्स था और वह एक छोटी डायरी और कुछ टेलीफोन डायरी, मतदाता पहचान पत्र आदि रखता था। 7. कि पोस्टमॉर्टम के बाद उसके भाई का शव रसीद के माध्यम

से प्राप्त किया गया था जो

Ex.PW4/A. 8

है। बाद में उसने रोहिणी जेल में न्यायिक परीक्षण आइडेंटिफिकेशन परेड में आरोपी पवन और विजय की पहचान की। उन्होंने आरोपी पवन और विजय की परीक्षण पहचान परेड के दौरान दर्ज अपने बयान को साबित कर दिया है जो

क्रमशः

Ex.PW4/B और Ex.PW4/C हैं।

9. कि बाद में उन्हें अन्य दो अभियुक्तों की परीक्षण पहचान परेड के लिए फिर से तिहाड़ जेल में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने कहीं भी उनकी पहचान नहीं की थी। 10.

एल. डी. द्वारा गवाह प्रदीप से कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए। एडल्ट। राज्य के लिए पी. पी. जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि

15.09.2008

पर वह अदालत परिसर रोहिणी और एल. डी. की अदालत के बाहर आए थे। एम. एम. श्री प्रशांत कुमार ने घटना में शामिल चार व्यक्तियों पवन और विजय के अलावा आरोपी शरवन और मुकेश की भी पहचान की

		थी। 11.कि घटना में आरोपी शरवन ने अपने भाई का रास्ता रोक दिया था और सुशील और मुकेश ने उन पर बर्फ की चुभन से हमला किया था।
--	--	--

897

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 898 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

चिकित्सकीय प्रमाण/गवाह		
3	डॉ. गोपाल (पी डब्लू लू3)	इस गवाह ने साबित किया ा है कि 42 वर्ष की आयु के एक रोगी सुशील पुत्र राम दास को शारीरिक हमले के कथित इतिहास के साथ

		बीजे आर एम अस् पता ल लाय ा गया था और उन की देख रेख में डॉ. नदी म सी निय र रेजि डेंट द्वारा उन की जांच की गई थी। उन्ह ों ने घाय ल सुश ी ल के एमए लस ी को सा बित कर दिय ा है जो Ex. P W3
--	--	---

	/A है। उन्ह ों ने यह भी सा बित किय ा है कि उसी दिन एक मरी ज 45 वर्षी य पुरु ष सोब रन सिंह को भी शार ी रिक हम ले के क थित इति हास के सा थ अस् पता ल लाय ा गया था और उन की देख रेख में डॉ.
--	--

		नदी म द्वारा एमए लस ी के माध् यम से जांच भी की गई थी जो Ex. P W3 /C है।
4	डॉ. आर . पी. सिंह (पी डब् लू1 2)	यह गवा ह यह सा बित कर चुक ा है कि उस ने मृत क पप्पु के शव का पोस् टमॉ र्टम 16. 8.2 00 8 पर किय ा था, जि सक

		ी रिपो र्ट Ex. P W1 2/ A है। उस ने यह भी सा बित किय ा है कि इस माम ले में मौत का कार ण नुकी ली छुरा घोप ने वाल ी वस् तु और चोट संख् या द्वारा उत्प न्न बड़ी वाहि का ओं में चोट ों के परि णाम स्व रूप
--	--	---

		का डिय क टेम्प ो नेड के कार ण सद मा था। 2 प्रकु र्ति और सम य के साम ान् य क्रम में मृत्यु का कार ण बन ने के लिए पूर्व- शव परी क्षण और पर्या प्त है क्यों कि मृत्यु लग भग आठ घंटे की होत ी है। उन्ह ों ने यह भी
--	--	---

		सा बित किय ा है कि इंस्पे क्टर राम चंदर द्वारा उन के सम क्ष दाय र एक आवे दन पर 22. 10. 20 08 पर, उन्ह ों ने अप नी राय दी कि पोस् टमो र्टम रिपो र्ट में उल्लि खि त चोटें नं। 82 2/0 8 दिन ां क 16. 8.2 00
--	--	---

		8 पप्पु पुत्र शोभ ा राम के शरी र पर उन के साम ने रखे गए हथि यारों से या इसी तरह के हथि यारों से संभ व है, जो राय Ex. P W1 2/B है। उन्ह ों ने सा बित कर दिय ा है कि उन के द्वारा तैया र किए गए रेखा
--	--	---

		चित्र जो Ex. P W1 2/C और P W1 2/ D हैं। उन्ह ों ने अप ने द्वारा जांचे गए बर्फ के चुभ न की सही पह चान की है जो Ex. P-4 और Ex. P-5 हैं।
5	डॉ. रोहि त कुमा र (पी डब् लू1 5)	इस गवा ह ने बीजे आर एम अस् पता ल द्वारा जार ी पप्पु के मृत्यु

		प्रमा ण पत्र को सा बित किय ा है जो Ex. P W1 5/ A है और मृत्यु सार ां श जो Ex. P W1 5/B है।
--	--	---

पुलिस/आधिकारिक गवाह (जांच साबित करना)

6	एच. सी. रघुबीर सिंह (पीडब्लू2)	वह ड्यूटी ऑफिसर होने के नाते एक औपचारिक गवाह है जिसने यह साबित किया है कि उसने लगभग 6 बजे की दरम्यानी रात को ए. एस. आई. सुरेंद्र द्वारा लाया गया और एस. आई. अरविंद प्रताप सिंह द्वारा भेजा गया रुक्का प्राप्त किया था, जिसके आधार पर उसे एक एफ. आई. आर. मिली।
---	-----------------------------------	---

		नहीं। 186/08, आई. पी. सी. की धारा 394/397/307/34 के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर को निर्देश देकर दर्ज किया गया, जिसका प्रिंट आउट Ex.PW2/A है। उसने यह भी साबित किया है कि उसने रक्का पर समर्थन किया है जो Ex.PW2/B है और डी. डी. No.31A की प्रति रिकॉर्ड की है जिसकी प्रति Ex.PW2/C है।
7	एच. सी. महेन्द्र (पीडब्लू5)	वह एक औपचारिक गवाह भी है जो एक फोटोग्राफर है जिसने जांच अधिकारी के निर्देश पर घटना स्थल की सात तस्वीरें ली हैं, जिनमें से नकारात्मक Ex.PW5/A (1 से 7) हैं और संबंधित सकारात्मक तस्वीरें Ex.PW5/B (1 से 7) हैं।
8	एस. आई. सतपाल सिंह (पीडब्लू 6)	यह गवाह अपराध दल का प्रभारी है जिसने 16.08.2008 पर घटना स्थल का निरीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट तैयार की है जो Ex.PW16/A है जिसे उसने जांच अधिकारी को सौंप दिया है।
9	एच. सी. प्रह्लाद	वह एम. एच. सी.

	सिंह (पीडब्लू 7)	एम. होने के नाते औपचारिक गवाह है जिसने साबित किया है कि उसने जाँच अधिकारी से विभिन्न मामलों की संपत्तियाँ प्राप्त की हैं और बाद में उन्हें एफ. एस. एल. को भेज दिया है। उन्होंने रजिस्टर संख्या 19 और आर. सी. में विभिन्न प्रविष्टियों की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर रखी है जो Ex.PW7/A से Ex.PW7/J हैं। उन्होंने साबित किया है कि उनकी हिरासत के दौरान सीलबंद पुलैंडा बरकरार रहा और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और न ही किसी को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।
10	एस. आई. मनोहर लाल (पीडब्लू8)	वह वह ड्राफ्ट्समैन है जिसने घटना स्थल की स्केल्ड साइट योजना तैयार की है जो साइट योजना Ex.PW8/A है।
11	सी. टी. राकेश (पीडब्लू9)	वह एक औपचारिक गवाह है जिसने साबित किया है कि आर. सी. No.83/21/08 के माध्यम से एफ. एस. एल. रोहिणी में जमा करने के लिए एफ. एस. एल. प्रपत्र के साथ छह सीलबंद पुलैंडा और चार नमूना मुहरें ली थीं। उन्होंने साबित

		कर दिया है कि उनकी हिरासत के दौरान सीलबंद पुलंडा बरकरार रहा और उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और न ही किसी को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।
12	एस. आई. अरविंद प्रताप सिंह (पीडब्लू10)	वह प्रारंभिक जाँच अधिकारी है जिसने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया है: Ex.PW10/A डीडी नंबर 29 ए Ex.PW10/B उनके द्वारा तैयार किया गया रुक्का Ex.PW10/C घायल सुशील के कपड़ों वाले पुलंडा की जब्ती।

899

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 900 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023]
11 एस. सी. आर.

		Ex.PW10/D आरोपी विजय का गिरफ्तारी ज्ञापन @कालिया Ex.PW10/E आरोपी पवन का गिरफ्तारी ज्ञापन Ex.PW10/G आरोपी विजय का गिरफ्तारी ज्ञापन Ex.PW10/H आरोपी पवन का व्यक्तिगत खोज ज्ञापन Ex.PW10/J	
--	--	---	--

[illegible]

13	एस. आई. किशन लाल (पीडब्लू11)	यह गवाह साबित करत ा है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों की परीक्षण पहचान परेड आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया था। उसने यह भी साबित किया है कि उसने बीजे आरएम अस्पताल में गवाह सुशील कुमार की चिकित्सक
----	------------------------------	---

		ीय जाँच कराई थी और मेमो Ex. PW 11/ A के माध्यम से आरोपी के रक्त के नमूनों को जब्त किया था।
--	--	---

14	इंस्पेक्टर आर. सी. सांगवान (पीडब्लू13)	वह बाद में जाँच अधिकारी है जिसने अपने द्वारा की गई विभिन्न जाँच कार्यवाही को साबित किया है। एस. आई. अरविंद प्रताप द्वारा साबित किए गए दस्तावेज़ के अलावा उन्होंने निम्नलिखित दस्तावेज़ों को साबित किया है: Ex.PW13/A-1 A-7 Ex.PW13/B साइट प्लान Ex.PW13/C के लिए घटनास्थल की तस्वीरें संक्षिप्त तथ्य Ex.PW13/D फॉर्म 25.35 मृत शरीर की पहचान विवरण Ex.PW13/E और प्रदीप और भगवती का
----	---	--

		Ex.PW13/F Ex.PW13/G पोस्टमॉर्टम के लिए अनुरोध Ex.PW13/H मृतक के कपड़ों वाले पुलंडा की जब्ती Ex.PW13/J बाद में राय लेने के लिए आवेदन Ex.PX एफएसएल परिणाम (आरोपी व्यक्तियों के लिए एल. डी. वकीलों द्वारा विवादित नहीं)
14	इंस्पेक्टर आर. सी. सांगवान (पीडब्लू13)	वह बाद में जाँच अधिकारी है जिसने अपने द्वारा की गई विभिन्न जाँच कार्यवाही को साबित किया है। एस. आई. अरविंद प्रताप द्वारा साबित किए गए दस्तावेज़ के अलावा उन्होंने निम्नलिखित दस्तावेज़ों को साबित किया है: Ex.PW13/A-1 A-7 Ex.PW13/B साइट प्लान Ex.PW13/C के लिए घटनास्थल की तस्वीरें संक्षिप्त तथ्य Ex.PW13/D फॉर्म 25.35 मृत शरीर की पहचान विवरण Ex.PW13/E और प्रदीप और भगवती का Ex.PW13/F Ex.PW13/G पोस्टमॉर्टम के लिए अनुरोध Ex.PW13/H मृतक के कपड़ों वाले पुलंडा की जब्ती Ex.PW13/J बाद में राय लेने के

		लिए आवेदन Ex.PX एफएसएल परिणाम (आरोपी व्यक्तियों के लिए एल. डी. वकीलों द्वारा विवादित नहीं)
15	एच. सी. कंवरपाल (पीडब्लू14)	वह पी. सी. आर. वैन के प्रभारी थे और उन्होंने पदच्युत किया है: 1. 15/16.8.2008 की दरम्यानी रात में लगभग 3 बजे: 50 क्या उन्हें सूचना मिली है कि गेट नं. 2 आजादपुर मंडी। 2. इसके बाद वह कर्मचारियों के साथ गेट नं. 2 आजादपुर मंडी से उन्हें पता चला कि यह घटना एसटीडी बूथ के पास डी- ब्लॉक कॉर्नर में हुई थी और उसके बाद वे वहां पहुंचे और सुशील कुमार और पप्पु नाम के दो लोगों को घायल हालत में पाया। 3. वे घायलों को बीजेआरएम अस्पताल ले गए

		और उन्हें इलाज के लिए वहां भर्ती कराया।
16	एस एच। रा जे एस एच के यू एम ए आर गोयल, एल. डी. एसीएमएम	इस गवाह ने परीक्षण, एल. डी. का संचालन करना साबित किया है। ए. सी. एम. एम. ने शरवन कुमार, विजय उर्फ कालिया और पवन कुमार और मुकेश जैसे अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान परेड की। उन्होंने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया है: Ex.PW8/A आरोपी मुकेश की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड Ex.PW8/B आरोपी विजय @कालिया की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड

901

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 902 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

		Ex.PW8/C आरोपी पवन की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड Ex.PW16/A कार्यवाही की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जांच अधिकारी का आवेदन	
--	--	--	--

		Ex.PW8/E आरोपी शरवन की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड Ex.PW16/B कार्यवाही की प्रतियां प्राप्त करने के लिए जांच अधिकारी का आवेदन Ex.PW16/C आइडेंटिफिकेशन परेड कार्यवाही और Ex.PW16/D Ex.PW16/E जांच अधिकारी द्वारा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन और PW16/F परेड आयोजित करने के लिए दायर आवेदन	

9. साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के समापन पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी. आर. पी. सी.) की धारा 313 के तहत अपीलार्थी दोषी का आगे का बयान दर्ज किया गया जिसमें अपीलार्थी दोषी ने कहा कि उसने टी. आई. पी. के लिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसे पहले ही पुलिस द्वारा गवाहों को दिखाया जा चुका था। उन्होंने आगे कहा कि वह निर्दोष थे और उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। उसे उसके ससुराल वालों के घर से उठाया गया और तीन दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

10. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने पर, निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसमें अपीलकर्ता दोषी और सह-अभियुक्त, अर्थात् विजय उर्फ कालिया, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302, 392, 394 और 397 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी थे, जबकि अन्य दो सह-अभियुक्तों, पवन कुमार और शरवन कुमार को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 392 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था।

11. विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी दोषी को दी गई सजा का आदेश निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“दोषी मुकेश सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के साथ-साथ 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000/- की राशि की सजा सुनाई गई है। एफ. आई. एन. ई. का भुगतान न करने पर दोषी को आगे की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

तीन महीने। यदि बरामद किया जाता है, तो मृतक पप्पु के परिवार को धारा 357 के तहत मुआवजे के रूप में कुल 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा दोषी को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 50,000 रुपये की सजा सुनाई जाती है। 2, 000/- भारतीय दंड संहिता की धारा 394 के साथ पठित धारा 392 के तहत अपराध के लिए। एफ. आई. एन. ई. का भुगतान न करने पर दोषी को एक सप्ताह की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।"

12. निचली अदालत द्वारा पारित सजा पर दोषसिद्धि और आदेश के फैसले से व्यथित अपीलार्थी दोषी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने पर, अपील को खारिज कर दिया और इस तरह निचली अदालत द्वारा पारित सजा पर दोषसिद्धि और आदेश के फैसले को खारिज कर दिया। 13. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ऐप्लेंट के स्वयं पर प्रस्तुतियाँ

14. अपीलार्थी दोषी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री जायेश गौरव ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में सफल रहा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी दोषी की दोषसिद्धि अनिवार्य रूप से पीडब्लू 1-सुशील कुमार के साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी दोषी को कथित अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत नहीं है।

15. विद्वान वकील ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला डकैती और हत्या का है। कथित घटना का समय सुबह 3:30 बजे है। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि यह घटना एक सब्जी बाजार में हुई थी, फिर भी उस क्षेत्र में हमलावरों को आसानी से पहचानने या दूसरे शब्दों में कहने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं थी, एक घायल चश्मदीद गवाह के रूप में पीडब्लू 1 को अपीलार्थी की एक गंगी झलक पाने का अवसर भी नहीं मिला होगा।

16. यह तर्क दिया गया कि जाँच अधिकारी ने एक टी. आई. पी. की व्यवस्था की थी, लेकिन अपीलार्थी दोषी ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया जा चुका था। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्लू 4, अर्थात् प्रदीप कुमार भी 903 के चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 904

घटना। हालाँकि, निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने उनके मौखिक साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया क्योंकि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध पाई गई थी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, पूरा मामला एक अकेले चश्मदीद गवाह यानी पीडब्लू 1 सुशील कुमार के साक्ष्य पर निर्भर करता है। उन्होंने तर्क दिया कि पीडब्लू 1 सुशील कुमार ने निचली अदालत के समक्ष पहली बार अपीलार्थी दोषी और अन्य तीन सह-अभियुक्तों की पहचान की। निचली अदालत के समक्ष पहली बार की गई इस पहचान को अपीलार्थी दोषी को आरोपित अपराधों का दोषी ठहराने के लिए एक कमजोर सबूत होने पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

17. विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों को टी. आई. पी. में भाग नहीं लेने के लिए अपीलार्थी दोषी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था। विद्वान वकील के अनुसार, टी. आई. पी. पुलिस जांच का एक हिस्सा है और आरोपी को टी. आई. पी. के समक्ष खुद को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से यदि आरोपी का मामला यह है कि उसे टी. आई. पी. शुरू करने से पहले ही गवाह को दिखाया जा चुका है। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील का निवेदन यह है कि यदि निचली अदालत के समक्ष पहली बार अपीलार्थी दोषी की पहचान पर विचार नहीं किया जाता है, तो उसे कथित कार्य से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ऑफ एनस के हथियार यानी आइस पिक की खोज और रुपये की राशि पर भरोसा करना चाहता है। 7, 000/- अपीलार्थी दोषी के घर से एक हजार के मूल्यवर्ग का, लेकिन यह कानून की नजर में एक खोज नहीं है क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 27 के अनुरूप नहीं है।

18. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण, इसकी अनुमति दी जा सकती है और अपीलार्थी दोषी को सभी आरोपों से बरी किया जा सकता है।

राज्य के बारे में प्रस्तुतियाँ (एन. सी. टी. दिल्ली)

19. दूसरी ओर, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने इस अपील का जोरदार विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कानून की किसी भी त्रुटि की बात नहीं करने के लिए, अपीलार्थी दोषी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने में निचली अदालतों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालतों को अपीलार्थी दोषी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में न्यायसंगत ठहराया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

टिप। यह तर्क दिया गया कि एक बार टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के बाद, अभियुक्त उसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के चश्मदीद गवाहों द्वारा पहचान के साक्ष्य मूल्य के संबंध में आपत्ति या कुछ भी नहीं कह सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निचली अदालत के समक्ष चश्मदीद गवाहों द्वारा अभियुक्त की पहचान ठोस साक्ष्य का गठन करती है और यदि जांच के दौरान टी. आई. पी. किया जाता है, तो इस तरह की टी. आई. पी. की कार्यवाही अदालत के समक्ष पहचान प्रमाण के ठोस साक्ष्य की पुष्टि करेगी। विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने निचली अदालत के समक्ष पहली बार अभियुक्त अपीलार्थी की पहचान को पूरी तरह से विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया है। यह तथ्य का प्रश्न होने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसे बाधित नहीं किया जा सकता है। 20. विद्वान ए. एस. जी. ने आगे कहा कि पहचान के साक्ष्य के अलावा, रुपये के मुद्रा नोटों की खोज के प्रमाण हैं। 7, 000/- एक हजार के मूल्यवर्ग के साथ-साथ तलवार का हथियार यानी अपीलार्थी दोषी के घर से बर्फ चुनना। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, यह अपीलार्थी दोषी के खिलाफ उसके अपराध की ओर इशारा करने वाली एक अतिरिक्त आपराधिक परिस्थिति है।

21. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान ए. एस. जी. ने प्रार्थना की कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

22. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) क्या उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी दोषी के नेतृत्व में अपील को खारिज करने में कोई त्रुटि की है और इस तरह कथित अपराधों के लिए निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को लागू किया है?

((ii) क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है कि उसे टी. आई. पी. के संचालन से पहले ही चश्मदीद गवाहों को दिखाया गया था और ऐसी परिस्थितियों में, टी. आई. पी. उसके खिलाफ सबूत बनाने से कम नहीं होगा?

905

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 906

((ग) क्या कोई अभियुक्त इस टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है कि जाँच अधिकारी इस आधार पर जाँच करने का प्रस्ताव रख सकता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. के अधीन होने से इनकार कर सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? ((iv) न्यायालय टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ किस हद तक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है? क्या इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के आधार पर, क्या न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह ऐसी पहचान के लिए किसी भी पुष्टि के बिना विचारण न्यायालय के समक्ष पहचान के मूल साक्ष्य को स्वीकार करे?

(v) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 ए का वास्तविक उद्देश्य क्या है?

((vi) क्या निचली अदालतों को अपीलार्थी दोषी के खिलाफ अपराध साबित करने वाली परिस्थितियों में से एक के रूप में अपीलार्थी दोषी के आवास से अवैध हथियार और मुद्रा नोटों की खोज पर भरोसा रखने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था?

क्या टी. आई. पी. संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत किसी आरोपी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

23. संविधान का अनुच्छेद 20 (3) इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“अनुच्छेद 20 (3):-किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।”

24. ऊपर निर्दिष्ट संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड (3) का वास्तविक उद्देश्य इस न्यायालय द्वारा एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300 के मामले में निर्धारित किया गया था। जे. जगन्नाथदास ने न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य, जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, गवाही है, और प्रशंसात्मक मजबूरी जबरदस्ती को दर्शाता है जो व्यक्ति के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कृत्यों को प्राप्त करता है, जो उसकी ओर से मौन या समर्पण के नकारात्मक दृष्टिकोण के विपरीत है।”

25. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एम. पी. शर्मा (ऊपर) ने उल्लेख किया है।

के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में उपरोक्त को निरस्त कर दिया गया।

(2017) 10 एस. सी. सी. 1, इस हद तक कि यह देखा गया था कि गोपनीयता एक नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार। एम. पी. शर्मा (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अमेरिकी संविधान में चौथे संशोधन जैसे प्रावधान के अभाव में, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में नहीं पढ़ा जा सकता है। मामले में, जब किसी आरोपी को टी. आई. पी. में डालने की बात आती है तो हम उसकी निजता के अधिकार से चिंतित नहीं हैं। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में के. एस. पुट्टास्वामी (उपरोक्त) में जो निर्णय दिया गया है, वह यह है कि निजता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो।

26. संविधान के अनुच्छेद 20 (3) द्वारा जो वर्जित है वह एक अभियुक्त के सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कृत्यों की मजबूरी है। यह सच है कि एक अभियुक्त को परीक्षण पहचान समारोह में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन इस मजबूरी में कोई सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य कार्य शामिल नहीं है। एक परीक्षण पहचान समारोह में उनकी मात्र उपस्थिति या उनके शरीर की प्रदर्शनी, भले ही मजबूर किया गया हो, तब तक कोई साक्ष्य कार्य नहीं करती है जब तक कि किसी अन्य एजेंसी द्वारा उनकी पहचान नहीं की जाती है। एक गवाह द्वारा उसकी पहचान करना उसका कार्य नहीं है, भले ही उसके शरीर को इस उद्देश्य के लिए प्रदर्शित किया गया हो। एक परीक्षण पहचान समारोह में उनकी जबरन उपस्थिति वास्तविक साक्ष्य से तुलनात्मक रूप से दूर है और इसे अपने आप में कोई सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। [देखिए: पीयर लाल शो बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1961 कैल 531]

27. पीयर लाल शो (ऊपर) में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मित्र ने अपने अलग फैसले में इस प्रकार टिप्पणी की:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“5. यह सच है कि हमें अनुच्छेद 20 (3) का अर्थ निकालना है, लेकिन अनुच्छेद 20 (3) की भाषा अमेरिकी संविधान के 5 वें संशोधन के भौतिक भाग के बारे में है। इस बिंदु से निपटने के लिए, होम्स, जे. ने होल्ट बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, (1910) 218 यू. एस. 245 में कहा:

“एक सवाल उठा कि क्या एक ब्लाउज कैदी का था। एक गवाह ने गवाही दी कि कैदी ने इसे पहना था और इसने उसे तंग कर दिया था। यह आपत्ति की जाती है कि उन्होंने ऐसा उसी दबाव में किया जिसने उनके बयानों को अस्वीकार्य बना दिया था, और

इसे उन्हीं कारणों से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन आपराधिक अदालत में किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने का निषेध उससे संचार वसूलने के लिए शारीरिक या नैतिक मजबूरी के उपयोग का निषेध है, न कि सबूत के रूप में उसके शरीर का बहिष्कार जब वह भौतिक हो। सैद्धांतिक रूप से आपत्ति 907 के लिए एक जूरी को मना कर देगी।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 908

एक कैदी को देखें और सबूत में एक तस्वीर के साथ उसकी विशेषताओं की तुलना करें। इसके अलावा, हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि एक अदालत एक व्यक्ति को खुद को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करने में कितनी दूर जाएगी। क्योंकि जब उसे प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वह स्वेच्छा से हो या आदेश द्वारा, और भले ही आदेश बहुत दूर चला जाता है, सबूत, यदि सामग्री, सक्षम है।

6. इसी प्रकार की टिप्पणियां साक्ष्य पर विगमोर, खंड VIII (तीसरा संस्करण), पृष्ठ 363 पर धारा 2263 में पाई जा सकती हैं। अभियुक्त की गवाही की स्थिति पर जोर दिया जाता है न कि किसी भी मजबूरी पर जो उस व्यक्ति के खिलाफ अंतिम साक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। इस विषय से निपटने के लिए, विगमोर ने कहा:

“ऐसा, निश्चित रूप से, व्यावहारिक आवश्यकता है जो साक्ष्य प्राप्त करने के अन्य निर्विवाद तरीकों को पहचानने की आवश्यकता से निम्नलिखित है: क्योंकि यदि विशेषाधिकार इन सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, और किसी अभियुक्त को उसकी कड़ाई से गवाही की स्थिति के अलावा अन्यथा संरक्षित करता है, -यदि, दूसरे शब्दों में, यह न केवल उसके अपने मुखर बयानों पर उसके शारीरिक नियंत्रण के लिए, बल्कि किसी भी रूप में उसके शारीरिक नियंत्रण के लिए भी अलंघनीयता पैदा करता है, तो एक दोषी व्यक्ति के लिए अपने अपराध के सभी उपकरणों और संकेतों के साथ अपने घर में खुद को बंद करना संभव होगा, और सबूत में कुछ भी प्रयोग करने के लिए कानून के अधिकार की अवहेलना करना संभव होगा जो जबरन अपने कब्जे को उखाड़ फेंकने और साक्ष्य लेखों के आत्मसमर्पण को मजबूर करके प्राप्त किया जा सकता है, एक स्पष्ट “कम करने के लिए बेलुका”।”

7. एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300 में उच्चतम न्यायालय के फैसले में पूर्वगामी सिद्धांत सन्निहित थे और इस फैसले में पहले दिए गए कानून का बयान, मेरे विचार में, यह निर्धारित करने के लिए वास्तविक परीक्षा प्रस्तुत करता है कि क्या कोई विशेष आरोपी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर है। जैसा कि मैंने बताया है, किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षण पहचान समारोह में किसी आरोपी की पहचान करना आरोपी का अपना कार्य नहीं है। उनकी मात्र उपस्थिति या उनके शरीर की प्रदर्शनी को किसी भी सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, विवादित आदेश को संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।”

[जोर दिया गया]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

28. भट्टाचार्य, जे. ने अपने अलग लेकिन सहमत निर्णय द्वारा इस प्रकार टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“10. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300, यह बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत गारंटी उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। जैसा कि सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम कलकत्ता मोटर एंड साइकिल कंपनी, ए. आई. आर. 1958 कैल 682 में देखा गया था, कोई औपचारिक शिकायत आवश्यक नहीं है और भले ही किसी व्यक्ति का नाम अपराध करने वाले के रूप में लिया गया हो, विशेष रूप से उन अधिकारियों द्वारा जो उसके खिलाफ मुकदमा शुरू करने में सक्षम हैं, उस पर अनुच्छेद 20 (3) के अर्थ के भीतर अपराध का आरोप लगाया गया है और वह कानून के उस प्रावधान के तहत सुरक्षा का दावा कर सकता है और इसलिए, जांच के चरण में भी किसी भी साक्ष्य सामग्री की जबरन वसूली, जैसा कि वर्तमान मामले में है, जो उसके खिलाफ मामला बनाने में सहायता कर सकता है, अनुच्छेद की निंदा के अर्थ के भीतर हो सकता है। शर्मा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 20 (3) में गारंटी अभियुक्त के मौखिक साक्ष्य पर निर्भर है। उनके प्रभुत्वों ने स्पष्ट रूप से कहा:

“हम इस मुश्किल से शाब्दिक महत्व के लिए संवैधानिक गारंटी की सामग्री को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसे सीमित करना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की गारंटी को लूटना और कुछ निर्णयों में बताई गई राशि के लिए सार से चूकना होगा। एक व्यक्ति न केवल मौखिक साक्ष्य देकर बल्कि दस्तावेज़ प्रस्तुत करके या समझदार इशारे करके भी गवाह बन सकता है जैसा कि एक गूंगे गवाह या इसी तरह के मामले में होता है। गवाह होना साक्ष्य प्रस्तुत करने के अलावा और कुछ नहीं है और इस तरह के साक्ष्य को होंठों के माध्यम से या किसी चीज़ या दस्तावेज़ या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

11. मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को परीक्षण पहचान परेड में पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। नतीजतन, जबरदस्ती का एक तत्व है और इसलिए सहमति का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह की आपत्ति, मेरी राय में, एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा न केवल एक मजिस्ट्रेट द्वारा मौखिक रूप से या लिखित रूप में, व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से, बल्कि अपने साक्ष्य के वास्तविक संग्रह के समय भी उठाई जा सकती है, जो, 909

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 910 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अभियुक्त के अनुसार, चरित्र में आत्म-दोषपूर्ण हो सकता है। याचिकाकर्ता की आपत्ति समय पर है। इसलिए, कोई तकनीकी बाधा नहीं है।

14. सहमति के विपरीत जबरदस्ती के सवाल के अलावा जिस मौलिक विचार पर जोर दिया गया है वह 'सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम' है। यह 'मौन या समर्पण के नकारात्मक दृष्टिकोण' से अलग है। यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल मौन या सहमति का नकारात्मक सिद्धांत नहीं रखा है। फैसले में जो बात प्रमुखता से सामने आती है वह है 'एक सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम'। यदि किसी अभियुक्त से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती करने की मांग की जाती है, जिसे उसकी ओर से सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो संवैधानिक गारंटी उसकी रक्षा के लिए कदम उठाएंगी। फरीद अहमद बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1960 कैल 32 के मामले में इस अदालत का यह दृष्टिकोण था, एक ऐसे मामले के संबंध में जिसमें मजिस्ट्रेट ने एक जांच अधिकारी को आरोपी के नमूना लेखन और हस्ताक्षर लेने की अनुमति दी थी। लेकिन अगर वह साक्ष्य अभियुक्त की ओर से किसी भी सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम के बिना प्राप्त किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात निर्णय को भालुका बेहरा बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1957 उड़ीसा 172; बृज भूषण बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1957 मध प्रा 106; नजीर सिंह बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1959 मध प्रा 411, या शैलेंद्र नाथ बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1955 कैल 247, या राम स्वरूप बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1958 कैल 119 में पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया था, हम इन निर्णयों में विचारों से उचित सम्मान के साथ असहमति व्यक्त करेंगे। भालुका बेहरा बनाम राज्य में, उड़ीसा उच्च न्यायालय की राय प्रतीत होती है कि अभियुक्त को अपने अंगूठे का निशान देने के लिए कहने का कोई भी निर्देश उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहने के बराबर होगा जो अनुच्छेद 20 (3) के तहत निषिद्ध है। हालाँकि, इस मामले में जबरदस्ती या मजबूरी का कोई तत्व नहीं था और आरोपी व्यक्तियों द्वारा अंगूठे की छाप लेते समय कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। बृजभूषण बनाम राज्य में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्य भारत कैदी पहचान अधिनियम की धारा 5, जहाँ तक यह मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त व्यक्ति को अपने अंगूठे की छाप, नमूना लेखन और हस्ताक्षर देने का निर्देश देने की शक्तियाँ प्रदान करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रतिकूल है और इसलिए अमान्य है। शैलेंद्र नाथ बनाम राज्य

और राम स्वरूप बनाम राज्य यह इंगित किया गया था कि नमूना लेखन लेने से संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का अंत नहीं हुआ-एक ऐसा दृष्टिकोण जो फरीद अहमद बनाम राज्य में असहमत था।

18. यह पीपल बनाम स्वेलो, 165 न्यूयॉर्क सप से दिखाई देगा। 915, कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ नियम का उल्लंघन तब नहीं किया जाता है जब अभियुक्त को अदालत में खुद को या अपने शरीर के हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता है या अपने फिंगर प्रिंट का रिकॉर्ड लेने की अनुमति दी जाती है। राज्य बनाम आह चुए, (1879) 33 एम रे 530 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को अपने व्यक्ति पर कुछ टैटू के निशान प्रदर्शित करने का निर्देश देने वाला आदेश आत्म-दोषारोपण के खिलाफ नियम का उल्लंघन नहीं होगा।

19. विलिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक कानून (1936 संस्करण, पृष्ठ 522) में इस तर्क को नकारते हुए कि फिंगर प्रिंट लेना आत्म-दोषारोपण के खिलाफ विशेषाधिकार का उल्लंघन है, अन्य बातों के साथ कहा: "अभियुक्त इच्छा का प्रयोग नहीं करता है या मौखिक गवाही नहीं देता है। वह निष्क्रिय है। वह अपने शरीर के बारे में गवाही नहीं दे रहा है, बल्कि अपना शरीर दे रहा है। न्यायाधिकरण या गवाहों द्वारा शारीरिक विशेषताओं के निरीक्षण की बात करते हुए, साक्ष्य में विगमोर, खंड। VIII, पृष्ठ 375, धारा 2265 टिप्पणी करती है कि इस तरह की कार्रवाई से अभियुक्त से जो प्राप्त होता है वह उसके शरीर के बारे में नहीं बल्कि उसके शरीर के बारे में गवाही है। इस पहलू पर, जिसे मैं दोहराने से खुद को रोक नहीं सकता, होम्स, जे. ने भी (1910) 218 यू. एस. 245 के मामले में जोर देते हुए कहा: "लेकिन आपराधिक अदालत में किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर करने का निषेध उससे संचार वसूलने के लिए शारीरिक या नैतिक मजबूरी के उपयोग का निषेध है, न कि सबूत के रूप में उसके शरीर का बहिष्कार जब वह भौतिक हो। 20. यदि, जैसा कि हम मानते हैं, अंगूठे की छाप लेना अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं है, तो अधिक बल के साथ उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन के ऊपर दिए गए कारण मजिस्ट्रेट आदेश के अंतर्वेशन के रूप में इस तरह के विचार के अलावा, एक परीक्षण पहचान परेड में आरोपी को पेश करने का निर्देश देने वाले मामले पर लागू होंगे। यह आरोपी नहीं है जिसे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन किसी और को उसे और अन्य लोगों को अब परेड में देखकर बाद में कुछ कहना पड़ सकता है। अभियुक्त कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है या कोई साक्ष्य कार्य नहीं करता है। यह एक सकारात्मक कार्य और यहां तक कि एक स्वैच्छिक कार्य भी हो सकता है, लेकिन केवल 911 के लिए।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 912 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सीमित सीमा तक, जब वह उस स्थान पर जाता है जहाँ परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी है, जैसा कि श्री दत्त द्वारा आग्रह किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से यह उसका साक्ष्य कार्य नहीं है। तत्काल मामले में हम जो विचार रखते हैं, वह एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 300 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम के परीक्षण से पूरी तरह सहमत है।"

[जोर दिया गया]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 54 ए

29. उपरोक्त संदर्भ में, अब हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 ए पर गौर करेंगे। धारा 54 ए इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" धारा 54 ए। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान।- जहाँ एक व्यक्ति है

अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा उसकी पहचान ऐसे अपराध की जांच के उद्देश्य से आवश्यक मानी जाती है, न्यायालय, अधिकारिता रखने वाला, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर, इस तरह से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा खुद को इस तरह से पहचानने का निर्देश दे सकता है जैसे कि अदालत मान सके।

बशर्ते कि, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो पहचान की ऐसी प्रक्रिया एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति उन तरीकों का उपयोग करके गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करता है जिनसे वह व्यक्ति सहज है:

बशर्ते कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।"

30. नव अंतःस्थापित धारा 54 ए गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान का प्रावधान करती है जहां इसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक माना जाता है। उक्त धारा अदालत को, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पहचान के लिए परीक्षण पहचान परेड में आरोपी को रखने के लिए निर्देश देने का अधिकार देती है। यह "उद्देश्यों और कारणों" में प्रदान किया गया है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यह खंड अदालत को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान को विशिष्ट रूप से रखने का निर्देश देने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक नई धारा 54 ए को सम्मिलित करने का प्रयास करता है।”

31. पहला प्रावधान:मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की पहचान करें।- प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जब संदिग्ध की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होता है, तो पहचान की प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होनी चाहिए। कानून की इस अनिवार्य आवश्यकता को 2013 के डब्ल्यू. ई. एफ. 03.02.2013 के संशोधन अधिनियम 13 द्वारा कानून में शामिल किया गया है। टी. आई. पी. की निगरानी करने वाले मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए कि संदिग्ध की पहचान उन तरीकों का उपयोग करके की जाए जिनसे वह सहज था। मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य का निर्वहन हल्के में या लापरवाही से नहीं कर सकता है।

32. दूसरा प्रावधान:पहचान तब की जाती है जब संदिग्ध मानसिक रूप से या

शारीरिक रूप से अक्षम।- 2013 के डब्ल्यू. ई. एफ. 13 के संशोधन अधिनियम द्वारा कानून में धारा 54 ए का दूसरा प्रावधान जोड़ा गया है। यह एक संदिग्ध की पहचान से संबंधित है जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट अपेक्षाएं दूसरे परंतुक के लिए आकर्षित नहीं हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी। जब तक इस आवश्यकता का पालन नहीं किया जाता है, तब तक पहचान जमीन पर गिर जाएगी और परीक्षण के किसी भी चरण में उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

33. यह धारा केवल व्यक्तियों की पहचान तक ही सीमित है। अतः इस धारा का कोई अनुप्रयोग नहीं है जहाँ लेखों की पहचान का प्रश्न उत्पन्न होता है। टी. आई. पी. जाँच का हिस्सा है और किसी मामले की जाँच जाँच एजेंसी द्वारा की जानी है और यह उनका वैधानिक विशेषाधिकार है। अभियुक्त को परीक्षण परेड में रखने के लिए प्रार्थना करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। कुछ उच्च न्यायालयों ने इस अधिकार को मंजूरी दी, जबकि कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रज्जू, ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 708 में, इस न्यायालय ने कहा, “यदि अभियुक्त को लगता है कि

गवाह उन्हें पहचानने में सक्षम नहीं होंगे-उन्हें अनुरोध करना चाहिए था

एक पहचान समारोह।” यह अवलोकन अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त द्वारा परीक्षण परेड के लिए कहने के अधिकार को मंजूरी देता है। एक अन्य मामले में, आरोपी ने स्वेच्छा से एक परेड में पहचान जाने के जोखिम को स्वीकार किया, लेकिन उसे उस अवसर से वंचित कर दिया गया। इस न्यायालय ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था

श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 495।

913

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 914 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

34. परीक्षण परेड आयोजित करने के तरीके के बारे में न्यायालय द्वारा निर्देश देने के इस प्रावधान को न्यायालय को जांच एजेंसी के हिस्से के रूप में माना जा सकता है। धारा 54 ए जैसे किसी भी प्रावधान के बिना लंबे समय से परीक्षण पहचान केशन परेड आयोजित करने में कोई कठिनाई नहीं रही है। पहचान परेड आयोजित करते समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को दिखाने के लिए बहुत सारे न्यायिक निर्णय हैं।

35. इस प्रकार हमारा विचार है कि ऊपर निर्दिष्ट दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 54 ए के लागू होने के बाद, एक अभियुक्त पहचान परेड के लिए खड़े होने के लिए बाध्य है। एक अभियुक्त इस आधार पर खुद को टी. आई. पी. के अधीन करने का विरोध नहीं कर सकता कि उसे इसके लिए मजबूर या मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि किसी अभियुक्त से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है जो उसकी ओर से सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत निहित संवैधानिक गारंटी उसकी रक्षा के लिए कदम उठाएगी। हालाँकि, यदि वह साक्ष्य अभियुक्त की ओर से किसी भी सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य अधिनियम के बिना प्राप्त किया जा सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। अभियुक्त टी. आई. पी. के अधीन रहते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है या कोई साक्ष्य कार्य नहीं करता है। जैसा कि ऊपर कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा बहुत संक्षिप्त रूप से समझाया गया है, यह एक

सकारात्मक कार्य और यहां तक कि एक स्वैच्छिक कार्य भी हो सकता है, लेकिन केवल एक सीमित सीमा तक, जब अभियुक्त को उस स्थान पर लाया जाता है जहां टी. आई. पी. आयोजित किया जाना है। यह निश्चित रूप से उसका साक्ष्य देने वाला कार्य नहीं है। संबंधित अभियुक्त के पास यह कहते हुए टी. आई. पी. का सामना करने का विरोध करने के लिए एक वैध आधार हो सकता है कि गवाहों के पास या तो पुलिस स्टेशन में या अदालत में उसे देखने का मौका था, हालांकि, अकेले इस आधार पर कि वह टी. आई. पी. का सामना करने से इनकार नहीं कर सकता है। अभियुक्त के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह मुकदमे के दौरान टी. आई. पी. की वैधता या उसके साक्ष्य मूल्य से संबंधित उसके लिए उपलब्ध किसी भी कानूनी आधार को उठाए। हालांकि, अभियुक्त टी. आई. पी. में शामिल होने से इनकार या इनकार नहीं कर सकता है।

36. इस प्रकार, हमारी उपरोक्त चर्चा हमारे द्वारा तैयार किए गए छह प्रश्नों में से दो का उत्तर देती है अर्थात् (i) क्या कोई अभियुक्त इस आधार पर टी. आई. पी. के समक्ष प्रस्तुत होने से इनकार कर सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन है और (ii) किसी भी आदेश का सही तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट सी. आर. पी. सी. की धारा 54 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति को टी. आई. पी. के अधीन करने का निर्देश दे सकता है।

सुझाव का महत्व और प्रमाणिक मूल्य

37. साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के आधार पर ऐसे तथ्य जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान स्थापित करते हैं, जिनकी पहचान प्रासंगिक है, हमेशा प्रासंगिक होते हैं। 'पहचान' शब्द का अर्थ है यह साबित करना कि न्यायालय के समक्ष कोई व्यक्ति, विषय या वस्तु वही है जो कथित, आरोपित या प्रतिष्ठित है। पहचान लगभग हमेशा राय या विश्वास का विषय होता है।

38. पहचान केशन का अपने आप में कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है। जैसा कि रेक्स बनाम क्रिस्टी, (1914) ए. सी. 545 (551) (ई) में विस्काउंट हाल्डेन एल. सी. ने कहा है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है

“इसकी प्रासंगिकता यह दिखाने के लिए है कि गवाह “उस समय पहचान करने में सक्षम था और इस विचार को बाहर करने में सक्षम था कि गोदी में कैदी की पहचान एक विचार के बाद या एक गलती थी।”

39. लॉर्ड मौल्टन (जिनके साथ विस्काउंट हाल्डेन एल. जे. सहमत थे) ने पृष्ठ 558 पर कहा:

“पहचान मन का एक कार्य है, और एक आदमी के दिमाग में जो चल रहा था उसका प्राथमिक प्रमाण उसकी अपनी गवाही है, जहाँ इसे प्राप्त किया जा सकता है।”

40. गवाहों के लिए अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध की जांच के दौरान, अपराध में उनकी संलिप्तता के संदेह में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का गवाहों के साथ जांच प्राधिकरण द्वारा सामना किया जाता है ताकि वे यह पता लगा सकें कि क्या वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध किया था या नहीं। जाँच अधिकारी अदालत में मामला भेजने से पहले उन्हें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपराध करने के आरोपी हैं।

41. यदि वे गवाहों के लिए ज्ञात होते, तो गवाहों ने अपने नाम दिए होते और इससे उनकी पहचान स्थापित होती, लेकिन जब वे ज्ञात नहीं होते, तो उनकी पहचान केवल तभी स्थापित की जा सकती थी जब गवाह उन्हें देखकर कहें कि वे अक्षम हैं। चूंकि एक गवाह के लिए यह कहना बहुत आसान होगा कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अक्षम था, इसलिए उसका सामना निर्दोष पुरुषों के साथ मिश्रित संदिग्ध से होता है। यदि वह उसे चुनता है, तो यह उसके बयान की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा कि वह ऑफ एंडर था। यह पहचान कैटायन कार्यवाही का प्राथमिक उद्देश्य है।

915

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 916 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

42. फिपसन अपने लॉ ऑफ एविडेंस, एडन में लिखते हैं। 8, पृ. 392:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“आपराधिक मामलों में केवल कठघरे में होने पर ही अभियुक्त की पहचान करना अनुचित है; पुलिस को उसे पहले से ही दूसरों के साथ रखना चाहिए, और गवाह को उसे बाहर निकालने के लिए कहना चाहिए।”

43. राजेश बनाम हरियाणा राज्य, (2021) 1 एस. सी. सी. 118 के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को (i) टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य, (ii) ऐसा करने के लिए अन्वेषक के अधिकार का स्रोत, (iii) जिस तरीके से ये कार्यवाहियां संचालित की जानी चाहिए, (iv) टी. आई. पी. के दौरान पहचान के लिए निर्धारित भार, और (v) उन परिस्थितियों पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें प्रक्रिया से गुजरने से इनकार करने वाले अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उपरोक्त पर उचित विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:- - प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ 43.1 टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति घटना के समय ऑफ एंडर को देखने का दावा करते हैं, वे किसी भी स्रोत से शिक्षण या सहायता के बिना अन्य व्यक्तियों में से उनकी पहचान करते हैं। एक पहचान परेड, दूसरे शब्दों में, गवाहों की स्मृति का परीक्षण करती है, ताकि अभियोजन पक्ष यह निर्धारित कर सके कि क्या उनमें से किसी या सभी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

43.2 सी. आर. पी. सी. या साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम") में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो पहचान पत्र परेड को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। पहचान पत्र परेड अपराध की जांच के चरण से संबंधित है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आरोपी को टी. आई. पी. का दावा करने का अधिकार देने के लिए मजबूर करता हो।

43.3 पहचान परेड उस संदर्भ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के प्रावधान द्वारा नियंत्रित की जाती है।

43.4 आमतौर पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक टी. आई. पी. आयोजित की जानी चाहिए, ताकि अभियुक्त को पकड़े जाने से पहले गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को रोका जा सके।

43.5 अदालत में अभियुक्त की पहचान ठोस साक्ष्य का गठन करती है।

43.6 अभियुक्त व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाले तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक माना जाता है।

43.7 यदि आवश्यक हो तो टी. आई. पी. अदालत में गवाह की पहचान की पुष्टि कर सकता है।

43.8 विवेक के नियम के रूप में, अदालत, आम तौर पर, अदालत में आरोपी की गवाह की पहचान की पुष्टि के लिए, पहले की पहचान की कार्यवाही के रूप में देखेगी। विवेक का नियम अपवाद के अधीन है जब अदालत किसी विशेष गवाह के साक्ष्य पर इस तरह के या अन्य पुष्टि के बिना भरोसा करना सुरक्षित समझती है। 43.9 चूंकि एक टी. आई. पी. ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करता है, इसलिए इसे धारण करने में विफलता वास्तव में पहचान के प्रमाण को अस्वीकार्य नहीं बनाती है।

43.10 इस तरह की पहचान से जुड़ा वजन उस विशेष मामले की परिस्थितियों में अदालत द्वारा निर्धारित किया जाने वाला मामला है। 43.11 टी. आई. पी. या अदालत में अभियुक्त की पहचान हर उस मामले में आवश्यक नहीं है जहां अपराध उन परिस्थितियों के आधार पर स्थापित किया जाता है जो साक्ष्य की प्रकृति और गुणवत्ता को आश्वासन देती हैं। 43.12 तथ्य की अदालत, प्रत्येक मामले के संदर्भ और परिस्थितियों में, यह निर्धारित कर सकती है कि टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, अदालत अभियुक्त के अपराध के संबंध में निर्णय लेने से पहले पर्याप्त प्रकृति की पुष्टि करने वाली सामग्री की तलाश करेगी।”

44. ऊपर निर्दिष्ट उसी निर्णय में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“46. ... इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार करना इस तथ्य से साबित होता है कि संदीप और राजेश घटना से पहले एक-दूसरे को जानते थे और पीडब्लू 4, जो एक प्रमुख चश्मदीद गवाह है, ने राजेश को सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने के समय देखा था, को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय तथ्यों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के बारे में सतर्क रहेगा, जैसा कि वे सामने आए हैं। किसी भी स्थिति में, जैसा कि हमने देखा है, टी. आई. पी. के दौरान पहचान का उद्देश्य अभियुक्त की पहचान का आश्वासन देना है। अपराध का निवारण विशुद्ध रूप से अभियुक्त द्वारा पहचान पत्र परेड से गुजरने से इनकार करने पर आधारित नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, 917

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 918 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि घटना स्थल पर कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में है। खाली कारतूस और मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को एक कथित हथियार से जोड़ने वाले बैलिस्टिक साक्ष्य विरोधाभासी हैं और गंभीर संदेहों के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार करना गौण महत्व रखता है, यदि बिल्कुल भी हो, और यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा होने के अभाव में स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता है।"

[जोर दिया गया]

45. मुंशी सिंह गौतम (डी) और ओआरएस बनाम एम. पी. राज्य, रिपोर्ट किया गया

(2005) 9 एस. सी. सी. 631 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"16. ... परीक्षण पहचान समारोह का पूरा विचार यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, उन्हें बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करनी होती है। परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जाँच चरण के दौरान पहचान पत्र परेड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। पहचान की कार्यवाही परीक्षण की प्रकृति में होती है और महत्वपूर्ण रूप से, इसलिए संहिता और साक्ष्य अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह वांछनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक परीक्षण पहचान प्रमाण परेड आयोजित की जानी चाहिए। यह परीक्षण पहचान प्रमाण परेड से पहले गवाहों को आरोपी को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है। यह अभियुक्त की एक बहुत ही सामान्य याचिका है और इसलिए, अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न हो। हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ देरी होती है, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।

17. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य अदालत में पहचान का प्रमाण है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है। अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य है

अदालत में दिया गया बयान। मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है। इसलिए, एक पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और उसे मजबूत करना है। तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर अदालत में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है, जो पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में है। हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह बिना किसी ऐसी या अन्य पुष्टि के सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है। पहचान पत्र परेड जांच के चरण से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को परीक्षण पत्र परेड का दावा करने के लिए आरोपी को अधिकार देने या प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होते हैं। परीक्षण पहचान पत्र परेड आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान पत्र के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला भार तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के प्रमाण को स्वीकार कर सकता है।..."

46. रमनभाई नारनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2000) 1 एस. सी. सी.

358, इससे पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा:- (एस. सी. सी. पी. 369, पैरा 20)

"20. यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त टिप्पणियाँ उन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में की गई थीं जिनमें कहा जाता है कि पुलिस ने गवाहों को अभियुक्तों के नाम दिए थे। इन परिस्थितियों में, न्यायालय में ऐसे नामित अभियुक्त की

पहचान केवल तभी की जानी चाहिए जब अभियुक्त पहले गवाह को ज्ञात नहीं था। उक्त निर्णय, बदले में, राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम वी. सी. शुक्ला [(1980) 2 एस. सी. सी. 665 के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय पर निर्भर था: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 561:ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1382] जिसमें फज़ल अली, जे. ने भी तीन-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए इस संबंध में इसी तरह की टिप्पणियाँ कीं। उस मामले में न्यायालय में गवाह का साक्ष्य और उसने केवल 919 में अभियुक्त की पहचान की।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 920

बिना पूर्व पहचान केशन परेड के न्यायालय को एक मूल्यहीन अभ्यास पाया गया। उसमें की गई टिप्पणियों को उक्त चश्मदीद गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति के अनुसार माना गया था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, कि परीक्षण पहचान परेड के अभाव में, अभियुक्त की पहचान करने वाले चश्मदीद गवाह का साक्ष्य अस्वीकार्य या पूरी तरह से बेकार हो जाएगा; क्या साक्ष्य किसी भी विश्वास के योग्य है या नहीं, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बेशक, यह सच है जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि राजेश गोविंद जागेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1999) 8 एस. सी. सी. 428 के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1452:ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 160] और स्टेट ऑफ एच. पी. बनाम लेख राज [(2000) 1 एस. सी. सी. 247:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 147:ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3916] ने इस न्यायालय के उपरोक्त तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों पर विचार नहीं किया था। हालाँकि, हमारे विचार में, इस न्यायालय के उपरोक्त बाद के निर्णयों के अनुपात को इन निर्णयों को प्रस्तुत करते समय न्यायालय द्वारा जांचे गए तथ्यों और परिस्थितियों पर पहले के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इन दो घायल गवाहों यानी भोगीलाल रणछोड़भाई और करसनभाई वल्लभभाई द्वारा अदालत में अभियुक्तों की पहचान करने के साक्ष्य को अभियोजन पक्ष के लिए कोई सहायता नहीं माना जा सकता है, तथ्य यह है कि ये चश्मदीद गवाह गंभीर रूप से घायल थे और वे आसानी से उन व्यक्तियों के चेहरे देख सकते थे जो उन पर हमला कर रहे थे और उनकी उपस्थिति और पहचान उनके दिमाग में अच्छी तरह से अंकित रहती थी, खासकर जब दिन के उजाले में उन पर हमला किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता था कि वे उन वास्तविक अभियुक्तों को बचाने में रुचि रखते थे जिन्होंने उन पर हमला किया था।"

[जोर दिया गया] 47. मलखानसिंह बनाम एम. पी. राज्य, (2003) 5 एस. सी. सी. 746 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जाँच के दौरान टी. आई. पी. आयोजित किए बिना अदालत में अभियोजक द्वारा उस मामले में अपीलार्थी की पहचान के साक्ष्य मूल्य पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि न्यायालय में टी. आई. पी. से पहले की गई पहचान का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि मूल

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

साक्ष्य न्यायालय में पहचान का प्रमाण है और इसलिए, ऐसी पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला मूल्य प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायालय ने अंततः निम्नानुसार उत्तर दिया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"7. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य अदालत में पहचान का प्रमाण है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है। अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य अदालत में दिया गया बयान है। मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है। इसलिए, एक पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और उसे मजबूत करना है। तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर अदालत में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है, जो पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में है। हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है, बिना इस तरह के या अन्य पुष्टि के। पहचान पहचान परेड

जांच के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आयोजित करने के लिए बाध्य करता है, या आरोपी को परीक्षण पहचान परेड का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होते हैं। परीक्षण पहचान पत्र परेड आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान पत्र के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला भार तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के प्रमाण को स्वीकार कर सकता है।"

[जोर दिया गया] 48. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मूल साक्ष्य अदालत में पहचान का सबूत है और परीक्षण पहचान परेड अदालत में गवाह की पहचान के लिए पुष्टि प्रदान करता है, यदि आवश्यक हो।

921

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 922

हालांकि, अदालत में पहचान प्रमाण के साक्ष्य के साथ क्या वजन जोड़ा जाना चाहिए, जो एक परीक्षण पहचान प्रमाण परेड से पहले नहीं है, यह तथ्य की अदालतों को जांचना है।

49. प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 9 एस. सी. सी. 689 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने परस्पर विरोधी राय व्यक्त की, न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी ने पैरा 19 में निम्नलिखित टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"19. ... यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक अभियुक्त के लिए सकारात्मक साक्ष्य द्वारा यह साबित करना असंभव है कि उसे पहचान परेड से पहले एक गवाह को दिखाया गया था, लेकिन यदि बचाव पक्ष द्वारा संदेह उठाया जा सकता है कि ऐसा हो सकता था, तो ऐसे मामले में अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

50. ज्ञान सुधा मिश्रा, जे. एच. एस. बेदी से असहमत होते हुए, जे. ने यह विचार रखा कि टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करना अभियुक्त के लिए खुला नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने पैरा 27 में निम्नलिखित टिप्पणी की:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"27. मेरे सुविचारित विचार में, यह अभियुक्त के लिए खुला नहीं था कि वह टी. आई. परेड में भाग लेने से इनकार करे और न ही अभियोजन पक्ष के लिए यह सही कानूनी दृष्टिकोण था कि वह अभियुक्त के परीक्षण पहचान प्रमाण परेड में भाग लेने से इनकार को स्वीकार करे। यदि अपीलार्थी-अभियुक्त के पास ऐसा करने का कारण था, विशेष रूप से इस दलील पर कि उसे चश्मदीद गवाहों को पहले से दिखाया गया था, तो परीक्षण पहचान परेड के मूल्य को ध्वस्त करने के लिए बचाव पक्ष द्वारा परीक्षण के चरण में टीआई परेड के साक्ष्य के मूल्य और स्वीकार्यता पर हमला किया जा सकता था। लेकिन केवल अभियुक्त की आपत्ति के कारण, उसे परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिससे कम से कम अभियोजन मामले की पुष्टि करने के लिए उसके खिलाफ निश्चित रूप से प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

[जोर दिया गया] 51. अंततः, प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 88 शीर्षक वाले मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई की गई और दोषी के नेतृत्व में अपील को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, हम इस मुद्दे के संबंध में उक्त निर्णय में कोई चर्चा नहीं करते हैं कि क्या अभियुक्त टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर सकता है। इस न्यायालय ने अपने दम पर पूरे साक्ष्य की जांच की और अंततः अपीलार्थी अभियुक्त को बरी कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

52. मुन्ना बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2003) 10 एस. सी. सी. 599 में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि कोई अभियुक्त स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करता है, तो उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि पहली बार दिए गए गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“10. एक ऐसे मामले में जहां एक आरोपी स्वयं एक परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने से इनकार करता है, उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि अदालत में पहली बार दिए गए चश्मदीद गवाहों के बयान, जिसमें वे विशेष रूप से उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इंगित करते हैं जिसने अपराध करने में भाग लिया था, पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिका उपलब्ध है बशर्ते कि अभियोजन पक्ष स्वयं परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं करने के लिए जिम्मेदार हो। हालांकि, ऐसे मामले में जहां आरोपी स्वयं परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने से इनकार करता है, अभियोजन पक्ष के पास अन्य सभी मामलों की तरह सामान्य तरीके से आगे बढ़ने और गवाहों की गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो मामले के मुकदमे के दौरान अदालत में दर्ज की जाती है।”

[जोर दिया गया] यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उपरोक्त निर्णय में, आरोपी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह नहीं कहा था कि उसे पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया गया था। वर्तमान मामले में, यह अपीलार्थी दोषी का मामला है कि उसे अन्य सह-अभियुक्तों के साथ न केवल टी. आई. पी. के संचालन से पहले बल्कि अदालत में पहचान पत्र से पहले भी गवाहों को दिखाया गया था।

53. रवींद्र लक्ष्मण महादिक बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1997

सी. आर. पी. सी. की धारा 395 से जुड़े एक मामले में सी. आर. आई. एल. जे. 3833 की राय थी:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“10. मुझे लगता है कि श्री मूमन की दलील में योग्यता है कि मंदा साहनी की पहचान के प्रमाण को स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होगा। मंदा साहनी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना स्थल पर कोई रोशनी नहीं थी। अपनी प्रतिपरीक्षा (पैरा 6) में उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर अंधेरा था, लेकिन तट पर स्थित इमारत से हल्की रोशनी निकल रही थी। सबूतों में इमारत और उस जगह के बीच की दूरी का खुलासा नहीं किया गया है जहां मंदा साहनी और उनके पति को लूटा गया था। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने कहा है कि विनोद साहनी का साक्ष्य यह है कि घटना 923 है।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 924 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यह गांधी प्रतिमा से लगभग 100 फीट की दूरी पर हुआ, जहां बैठक हुई थी। वह जो बताना चाहते थे वह यह था कि इसलिए घटना स्थल पर रोशनी हुई होगी। मेरे विचार में, मंदा के इस स्पष्ट बयान के बावजूद कि अंधेरा था क्योंकि केवल हल्की रोशनी थी, और यह ध्यान में रखते हुए कि घटना फरवरी, 1992 के महीने में रात 9:30 बजे हुई थी, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं होगा कि घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी थी जिससे मंदा साहनी अपीलार्थी की पहचान कर सके।”

54. कानान एंड ओआरएस. वी. मेंकेरल राज्य, ए. आई. आर 1979 एस. सी. 1127, यह

अदालत ने कहा:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“...यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां एक गवाह एक ऐसे आरोपी की पहचान करता है जिसे वह पहली बार अदालत में नहीं जानता है, उसका साक्ष्य तब तक पूरी तरह से मूल्यवान नहीं है जब तक कि उसकी टिप्पणियों की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए पिछली टी. आई. परेड नहीं हुई हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत टी. आई. परेड आयोजित करने का विचार एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने की उसकी क्षमता के सवाल पर गवाह की सत्यता का परीक्षण करना है जिसे गवाह ने केवल एक बार देखा होगा। यदि कोई टी. आई. परेड आयोजित नहीं की जाती है तो अदालत में पहली बार किसी अभियुक्त की पहचान के संबंध में उसकी खुली गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा।...”

[जोर दिया गया]

55. सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) मामले में,

(2010) 6 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने टी. आई. पी. और इसके पीछे के तर्क के महत्व को देखा। यह एक ऐसा अभ्यास है जो प्रक्रिया से नहीं बल्कि विवेक से पैदा होता है। इस मामले में, इस न्यायालय ने इस विषय पर पूरे मामले के कानून की पूरी तरह से जांच की है। यह देखा गया:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“254. यहां तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक टी. आई. पी. भी अन्यथा संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए यह कहना कि एक फोटो पहचान पत्र धारा 162 द्वारा प्रभावित है, गलत है। यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। यह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के आधार पर है कि वही यानी पहचान का कार्य अदालत में स्वीकार्य हो जाता है। टी. आई. पी. के पीछे का तर्क, जिसमें फोटो पहचान शामिल होगी, इस तथ्य में निहित है कि यह केवल जांच के लिए एक सहायता है, जहां एक आरोपी गवाहों को ज्ञात नहीं है, आई. ओ. यह सुनिश्चित करने के लिए एक टी. आई. पी. आयोजित करता है कि उसे अधिकार मिल गया है।

अभियुक्त के रूप में व्यक्ति। अभ्यास प्रक्रिया से नहीं, बल्कि विवेक से होता है। जांच के दौरान आई. ओ. या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आरोपी की पहचान करने वाले फोटो में गवाह के आचरण के साक्ष्य के रूप में इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत लाया जा सकता है।”

56. इस न्यायालय ने आगे अपने पहले के फैसलों का उल्लेख किया है जो कहते हैं:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“256. आज जो कानून है, वह इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में निर्धारित किया गया है, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

मुंशी सिंह गौतम बनाम एम. पी. राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 631:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1269]:
(एस. सी. सी. पीपी. 642-45, पैरा 16-17 & 19)

“16. जैसा कि इस न्यायालय ने मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1971) 2 एस. सी. सी. 75 में कहा था: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 391] पहचान प्रमाण परीक्षण ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं। वे मुख्य रूप से जांच एजेंसी को इस आश्वासन के साथ मदद करने के उद्देश्य से हैं कि अपराध की जांच के साथ उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहचान पत्र का उपयोग केवल अदालत में बयान की पुष्टि के रूप में किया जा सकता है। (संतोख सिंह बनाम इजहार हुसैन [(1973) 2 एस. सी. सी. 406:1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 828] पहचान पत्र परेड आयोजित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब आरोपी पहले गवाहों को ज्ञात न हों। परीक्षण पहचान समारोह का पूरा विचार यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, उन्हें बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करनी होती है। परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जांच चरण के दौरान पहचान पत्र परेड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। पहचान की कार्यवाही परीक्षण की प्रकृति में होती है और महत्वपूर्ण रूप से, इसलिए संहिता और साक्ष्य अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह वांछनीय है कि एक परीक्षण पहचान समारोह जल्द से जल्द 925 में आयोजित किया जाना चाहिए।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 926 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

जैसे कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद। यह परीक्षण पहचान प्रमाण परेड से पहले गवाहों को आरोपी को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है। यह अभियुक्त की एक बहुत ही सामान्य याचिका है और इसलिए, अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न हो। हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ देरी होती है, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।

17. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य अदालत में पहचान का प्रमाण है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है। अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य अदालत में दिया गया बयान है। मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है। इसलिए, एक पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और उसे मजबूत करना है। तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर अदालत में

गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है, जो पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में है। हालांकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है, बिना इस तरह के या अन्य पुष्टि के। पहचान पत्र परेड जांच के चरण से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को परीक्षण पत्र परेड का दावा करने के लिए आरोपी को अधिकार देने या प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होते हैं। परीक्षण पहचान पत्र परेड आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान पत्र के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।

इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला भार तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के प्रमाण को स्वीकार कर सकता है। (कांता प्रसाद बनाम दिल्ली प्रशासन देखें) [AIR 1958 SC 350:1958 क्री एल. जे. 698], वैकुंठम चंद्रप्पा बनाम ए. पी. राज्य। [ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1340:1960 क्री एल. जे. 1681], बुधसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1970) 2 एस. सी. सी. 128:1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 343] और रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [(1971) 2 एस. सी. सी. 715:1971 क्री एलजे 638]

× ×

× ×

19. हरबजन सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य [(1975) 4 एस. सी. सी. 480:1975 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 545], हालांकि एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, इस न्यायालय ने अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई अदालत में पहचान के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा। उस मामले में यह पाया गया कि अपीलार्थी और एक गुरमुख सिंह रोल कॉल के समय अनुपस्थित थे और जब उन्हें आईडी 1 की रात को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास से ताजा बारूद की बदबू आई और घटनास्थल पर मिले खाली कारतूस के मामले में विशिष्ट निशान थे जिससे पता चलता है कि जिस गोली से मृतक की मौत हुई थी, वह अपीलार्थी के पास से लाल थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 481, पैरा 4)

‘4. इस पुष्टिकारक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि जांच अधिकारी को पहचान परेड आयोजित करनी चाहिए थी और यह कि घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर आए पड़ोसियों को दो अभियुक्तों के नाम का उल्लेख करने में मुंशी राम की विफलता से पता चलता है कि उसकी कहानी सच नहीं हो सकती है। जैसा कि इस न्यायालय ने जदुनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1970) 3 एस. सी. सी. 518 में कहा: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 124] परीक्षण पहचान की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से घातक नहीं है। यह तथ्य कि मुंशी राम ने ग्रामीणों को दोनों अभियुक्तों के नामों का खुलासा नहीं किया, केवल यह दर्शाता है कि अभियुक्तों को वह पहले से नहीं जानता था और यह कहानी कि अभियुक्तों ने अपने-अपने 927 में एक-दूसरे का उल्लेख किया था।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 928 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

घटना के दौरान नामों में अतिशयोक्ति का तत्व होता है। मामला केवल मुंशी राम के साक्ष्य पर आधारित नहीं है और जिन पुष्टि करने वाली परिस्थितियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे अपीलार्थी के निहितार्थ को पर्याप्त आश्वासन देते हैं।’ “

57. ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों से स्पष्ट रूप से कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अब हम अभिलेख पर साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या कथित अपराध के लिए अपीलार्थी दोषी की दोषसिद्धि टिकाऊ है या नहीं।

अपीलीय परिवहन की पहचान के प्रमाण का मूल्यांकन

58. <ID2 पर, सह-अभियुक्त व्यक्तियों, विजय उर्फ कालिया, पवन कुमार और शरवन कुमार की परीक्षण-पहचान परेड आयोजित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे PW 4 द्वारा पहचाना जाना था, M. M., श्री प्रशांत कुमार के

सामने, जिन्होंने इसे 20.08.08 के लिए स्थगित कर दिया और इसे M. M., श्री राजेश कुमार गोयल यानी, PW 16 को चिह्नित किया।

59. 20.08.2008 पर, पीडब्लू 16 ने सह-अभियुक्त विजय और पवन कुमार के संबंध में टी. आई. पी. का संचालन किया, जिनकी पहचान पीडब्लू 4 द्वारा की गई थी।

60. आई. ओ. के निर्देश पर, पी. डब्ल्यू. 11 एस. आई. किशन लाल ने सह-अभियुक्त विजय, पवन कुमार और शरवन कुमार के साथ अपीलार्थी दोषी के टी. आई. पी. पर कार्रवाई करने के लिए एम. एम., श्री प्रशांत कुमार के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उसी को 01.09.2008 तक स्थगित कर दिया गया और PW 16 के लिए चिह्नित किया गया।

61. आई. डी. 2 पर, सह-अभियुक्त विजय और पवन कुमार के साथ अपीलार्थी दोषी की टी. आई. पी. को आई. डी. 3 के लिए दर्ज किया गया, जबकि शरवन कुमार की टी. आई. पी. को आई. डी. 1 के लिए दर्ज किया गया।

62. आई. डी. 1 पर एम. एम./पी. डब्ल्यू.-16 ने टी. आई. पी. कार्यवाही का संचालन किया जहाँ सह-अभियुक्त विजय और पवन कुमार की पहचान पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा की जानी थी और अपीलार्थी दोषी की पहचान पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा की जानी थी। उक्त टिप में, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने भाग लेने से इनकार कर दिया।

63. 03.09.2008 पर, पीडब्लू 16 ने सह-अभियुक्त शरवन कुमार की टी. आई. पी. आयोजित की, जिसे पीडब्लू 1 और पीडब्लू 4 द्वारा पहचाने जाने के लिए जवाब दिया गया, जिसमें सह-अभियुक्त शरवन कुमार ने भाग लेने से इनकार कर दिया।

सुझाओं के चार्टर आयोजित

एस. नहीं।	दिनांक	टी. आई. पी. के लिए आयोजित	द्वारा पहचाने जाने के लिए	विशिष्टताएँ
1	20.08.08	(i) विजय @कालिया (ii) पवन कुमार	पीडब्लू4	टी. आई. पी. का संचालन किया गया और पी. डब्ल्यू. 4 ने आरोपी की पहचान की। (Ex.PW4/B) और (Ex. पीडब्लू4/सी)
2	02.09.08	(i) विजय @कालिया (ii) पवन कुमार	पीडब्लू1	दोनों ने टिप देने से इनकार कर दिया। (Ex.PW8/B-विजय @कालिया) (Ex.PW8/C-पवन)
3	02.09.08	(iii) मुकेश सिंह (अपीलार्थी)	पीडब्लू4	अस्वीकृत टी. आई. पी. (Ex.PW8/A-मुकेश) (अपीलार्थी)
4	03.09.08	(iv) शरवन कुमार	पीडब्लू1 और	अस्वीकृत टिप

			पीडब्लू4	(Ex.PW8/E- शरवन)
--	--	--	----------	---------------------

64. उल्लेखनीय रूप से, जबकि सह-अभियुक्त विजय और पवन कुमार ने शुरु में 20.08.2008 पर टी. आई. पी. में भाग लिया, लेकिन उसके बाद अपीलार्थी दोषी सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया। सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयानों में, उन सभी ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया जा चुका था। इसके अलावा, यह अपीलार्थी दोषी का विशिष्ट मामला है कि उसने टी. आई. पी. को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी पहचान पी. डब्ल्यू. 4 द्वारा की जानी थी जो एक गवाह था।

65. बाद में, रोहिणी अदालत परिसर में पुलिस अधिकारियों से मिलने गए पीडब्लू 1 और पीडब्लू 4 ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की, जिन्हें वर्तमान मामले के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था।

66. पीडब्लू 1 सुशील कुमार ने अपने परीक्षण प्रमुख में इस प्रकार कहा है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“जब अभियुक्त व्यक्तियों को उसी न्यायालय में पेश किया गया था, तब मैंने रोहिणी न्यायालय परिसर में 15.9.2008 पर अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी।”

67. पीडब्लू 11 एस. आई. किशन लाल, जिन्हें संबंधित समय में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक के रूप में तैनात किया गया था, ने अपनी परीक्षा प्रमुख में इस प्रकार कहा:

- 929

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 930

“आई. डी. 1 पर मैं एस. एच. ओ. राम चंदर के साथ अदालत में आया और वहां हम पी. डब्ल्यू. सुशील और प्रदीप से मिले और उन्होंने न्यायिक हिरासत लेने के लिए अदालत में पेश किए गए सभी चार अभियुक्तों की पहचान की। पीडब्लू ने आरोपी पवन और शरवन की ओर इशारा किया कि उन्होंने सुशील और पप्पु को घेर लिया था और उन्होंने आरोपी मुकेश और विजय की ओर इशारा किया और बताया कि मुकेश ने सुशील की जेब से पैसे निकाले थे और विजय ने पप्पु से पैसे निकाले थे और उन्होंने उन पर आईडी 1 पर बर्फ के टुकड़ों से हमला किया था। आई. ओ. ने उनके बयान दर्ज किए।”

68. इस प्रकार, पीडब्लू 1 और पीडब्लू 11 के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू 1 (घायल चश्मदीद गवाह) को आरोपी व्यक्तियों को देखने का अवसर मिला था जब वे रोहिणी अदालत परिसर में मौजूद थे। जब पीडब्लू 11 कहता है कि गवाह उस समय सभी चार अभियुक्तों की पहचान करने में सक्षम थे जब उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के लिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसी को यह बताने के रूप में समझा जाना चाहिए कि एक जांच अधिकारी के रूप में, उन्होंने गवाहों के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान कराने का मौका लिया। निर्विवाद रूप से, यह कानून के अनुसार एक नियमित पहचान नहीं थी।

69. अपीलार्थी दोषी का तर्क है कि उसके खिलाफ एकमात्र ठोस सबूत निचली अदालत के समक्ष पीडब्लू 1 द्वारा उसकी पहचान के रूप में है। उनका कहना है कि टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करने के लिए उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वह पहले दिन से कह रहे थे कि गवाहों ने आरोपी व्यक्तियों को देखा था। वह आगे कहता है कि पीडब्लू 1 निचली अदालत के समक्ष पहली बार उसकी पहचान करने की स्थिति में था क्योंकि उसे 15.09.2008 पर उसे देखने का अवसर मिला था। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी दोषी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि कथित अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए नाम के लायक कोई सबूत नहीं है। दूसरी ओर, राज्य का कहना है कि हालांकि गवाहों को रोहिणी न्यायालय परिसर में उपस्थित होने पर अभियुक्त व्यक्तियों को 15.09.2008 पर देखने का मौका मिला था, लेकिन यह अपने आप में, परीक्षण न्यायालय के समक्ष पहचान के मूल साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त या अच्छा आधार नहीं है। राज्य चाहता है कि हम अपीलार्थी दोषी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालें क्योंकि उसने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया था और साथ ही यह भी चाहता है कि हम निचली अदालत के समक्ष पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा अपीलार्थी की पहचान को स्वीकार करें। राज्य ने आगे कहा कि पीडब्लू 1 एक घायल आंख है

गवाह के पास अपीलार्थी दोषी सहित चार अभियुक्त व्यक्तियों की एक निष्पक्ष झलक पाने का अवसर था और इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि पीडब्लू 1 को रोहिणी न्यायालय परिसर में 15.09.2008 पर अपीलार्थी दोषी को देखने का अवसर मिला था, निचली अदालत के समक्ष पहचान पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।

70. सुबह 3:30 बजे हुई घटना के संबंध में पीडब्लू 1 सुशील कुमार का साक्ष्य रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से समर्थित है। मृतक के साथ पीडब्लू 1 को तुरंत चिकित्सा के लिए ले जाया गया। मृतक को एक तेज नुकीले हथियार के कारण हुए घावों के रूप में कई चोटें आई थीं। पीडब्लू 1 में भी दो चोटें पाई गईं और उनमें से एक एक तेज नुकीले हथियार के कारण छाती में हुए घाव के रूप में थी। पीडब्लू 1 और मृतक द्वारा की गई चोटों की प्रकृति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीडब्लू 1 और मृतक को आरोपी व्यक्तियों द्वारा घेर लिया गया था और आगे यह कि उनके पैसे लूट लिए गए थे, पूरी घटना निश्चित रूप से पीडब्लू 1 को अपीलार्थी दोषी सहित हमलावरों को वापस बुलाने और उनकी पहचान करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान कर सकती थी। यह एक लंबे समय से स्थापित कानून है कि यदि कोई गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय है, तो केवल यह तथ्य कि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की जा सकती थी और अपीलार्थी दोषी को निचली अदालत के समक्ष पहली बार पहचाना गया था, गवाह के साक्ष्य को त्यागने का कारण नहीं होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने मुन्ना (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे मामले में जहां एक अभियुक्त ने स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया है, उसके लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि न्यायालय में पहली बार दिए गए चश्मदीद गवाहों के बयान, जिसमें वे विशेष रूप से उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में इंगित करते हैं जिसने अपराध करने में भाग लिया था, पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी याचिका उपलब्ध है बशर्ते कि अभियोजन पक्ष स्वयं टी. आई. पी. आयोजित नहीं करने के लिए जिम्मेदार हो। हालांकि, ऐसे मामले में जहाँ अभियुक्त स्वयं टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार करता है, अभियोजन पक्ष के पास अन्य सभी मामलों की तरह सामान्य तरीके से आगे बढ़ने और गवाहों की गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो मुकदमे के दौरान अदालत में दर्ज की जाती है। हमारे लिए यह कहना बहुत अधिक होगा कि पीडब्लू 1 निचली अदालत के समक्ष पहली बार आरोपी दोषी की पहचान करने में सक्षम था क्योंकि पीडब्लू 1 को रोहिणी अदालत परिसर में 15.09.2008 पर उसे देखने का अवसर मिला था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, कहा जा सकता है कि पीडब्लू 1 में 931 थे।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 932 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

घटना के समय हमलावरों की एक उचित झलक से अधिक और उसी के बल पर, पीडब्लू 1 ने अपीलार्थी दोषी की पहचान हमलावरों में से एक के रूप में की।

71. हम उन कारकों का उल्लेख करना उचित समझते हैं जिन पर अदालत में पहचान के लिए विचार किया जाना चाहिए और जिन पर अमेरिकी ने भरोसा किया था।

जॉन आर. मैनसन, कनेक्टिकट बनाम नोवेल ए. ब्रैथवेट के सुधार आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 432 यू. एस. 98 (1977) में रिपोर्ट की,

जहां 409 यू. एस. 188 (1972) में रिपोर्ट किए गए विलियम एस. एन. ई. आई. एल., वार्डन बनाम आर्ची नथानिएल बिगर्स में अपने पहले के निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह माना गया कि पहचान प्रमाण गवाही की स्वीकार्यता को निर्धारित करने में विश्वसनीयता लिंचपिन है और जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं: अपराध के समय अपराधी को देखने का गवाह का अवसर; गवाह का ध्यान की डिग्री; अपराधी के बारे में उसके पूर्व विवरण की सटीकता; टकराव में प्रदर्शित निश्चितता का स्तर, और अपराध और टकराव के बीच का समय।

72. उपरोक्त संदर्भ में, हमें उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तर्क की रेखा को भी देखना चाहिए। विवादित फैसले के पैरा 37 में, उच्च न्यायालय ने स्थल योजना एक्स को ध्यान में रखा। पीडब्लू-8/ए. स्थल योजना को यह पता लगाने के लिए देखा गया कि घटना के स्थान पर पर्याप्त प्रकाश था या नहीं। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“37. अपीलार्थी विजय के वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि स्थल योजना पूर्व के रूप में रिकॉर्ड पर साबित हुई। पीडब्लू 8/ए, ऐसी किसी भी रोशनी का अस्तित्व नहीं दिखाया गया है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क था कि कोई प्रकाश न होने के कारण पीडब्लू-1 किसी भी

हमलावर को नहीं देख सकता था, और बाद में उन्हें अपराध के वास्तविक अपराधियों के रूप में मान्यता दी। अपीलार्थी विजय कुमार के वकील द्वारा उठाया गया यह तर्क किसी भी योग्यता से रहित है क्योंकि पीडब्लू-1 ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि हमलावरों के चेहरे देखने के लिए चारों ओर पीले रंग के लैंप के साथ पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। पीडब्लू-1 ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने घटना के समय अपने चेहरे नहीं ढके थे। अपनी जिरह में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि घटना स्थल पर अंधेरा था या उन्होंने किसी भी हमलावर को नहीं देखा था। पीडब्लू-1 द्वारा लिए गए इतने स्पष्ट रुख के साथ कि वहाँ था

हमलावरों के चेहरे देखने के लिए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, हम अपीलार्थी विजय के वकील द्वारा उठाए गए उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं रखते हैं। यहां तक कि अन्यथा स्केल्ड साइट प्लान में बिंदु सी, डी और ई पर प्रदर्शनी पीडब्लू-8/ए के रूप में रिकॉर्ड पर साबित हुआ कि साइट पर मौजूद रोशनी की स्थिति को विधिवत दिखाया गया है।"

[जोर दिया गया] 73. विवादित फैसले के पैरा 41 में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान के बारे में चर्चा की है। पैरा 41 इस प्रकार है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"41. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस तर्क पर बहुत जोर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी ठोस और निर्णायक साक्ष्य के माध्यम से उक्त अपराध में इन अपीलार्थियों की संलिप्तता को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अपीलार्थी के वकील के अनुसार, पीडब्लू-1 अपने पहले बयान में पुलिस को इन हमलावरों का विवरण देने में विफल रहा और पुलिस द्वारा इन हमलावरों को दिखाने के बाद ही वह अदालत में अपने बयान के समय हमलावरों को पहचान सका। वकील ने 02.09.08 पर आयोजित परीक्षण पहचान परेड में भाग लेने के लिए अपीलार्थियों के इनकार को भी उचित ठहराया क्योंकि उन्हें पहले ही पुलिस द्वारा पीडब्लू-1 को दिखाया जा चुका है। अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जांच का एक महत्वपूर्ण कार्य अपराध के वास्तविक और वास्तविक अपराधी को पकड़ना है। जांच अधिकारी और उनकी टीम द्वारा की जाने वाली जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी, किसी भी बाहरी कारक से पूरी तरह से अप्रभावित होनी चाहिए। किसी भी अपराध की जांच में अनुचित और अवांछनीय देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जांच में कोई भी ढिलाई हमेशा घातक साबित हो सकती है। किसी भी आपराधिक मुकदमे का पूरा प्रयास यह देखना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए और कोई भी दोषी व्यक्ति रिहा न हो जाए। पीडब्लू-1 ने अपने पहले ही बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वह अपने सामने लाया जाता है तो वह सभी चार हमलावरों को पहचान सकता है। अदालत में अपना बयान देते समय, वह अदालत में मौजूद इन चारों हमलावरों की आसानी से पहचान कर सकता था। उन्होंने विशेष रूप से उन दो अभियुक्त व्यक्तियों की ओर इशारा किया जिन्होंने उनकी जेब से पैसे छीने थे और अन्य दो जो बर्फ की चुभन से लैस थे और उन पर और मृतक पप्पु पर हमला करने लगे। अपनी जिरह में उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने उन्हें चाकू मारा था, उसका रंग 933 काला था

मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 934 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

और उसके चेहरे पर कट का निशान था। इसलिए यह देखा जा सकता है कि पहले बयान से ही पीडब्लू-1 का रुख यह था कि वह हमलावरों की पहचान कर सकता है और वास्तव में उसने उनकी पहचान तब की थी जब वे अदालत में अपने बयान के समय भी मौजूद थे। इस प्रकार इन हमलावरों का परीक्षण पहचान समारोह की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करना उनके खिलाफ जाता है। निचली अदालत का यह विचार सही है कि अभियुक्त व्यक्तियों पर यह साबित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनकी तस्वीरें उक्त परीक्षण पहचान प्रमाण परेड के आयोजन से पहले पीडब्लू-1 को दिखाई गई थीं। पीडब्लू-1 अपने अदालती बयान में काफी स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने इन हमलावरों को 15 सितंबर 2008 को देखा था जब उन्हें रोहिणी अदालत परिसर में एक अदालत में पेश किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी के वकील के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष उक्त अपराध करने वाले इन हमलावरों की पहचान स्थापित करने में विफल रहा है।"

[जोर दिया गया] 74. पैरा 42 में, उच्च न्यायालय ने पहचान के मुद्दे को और विस्तार से बताया। पैरा 42 इस प्रकार है:- - प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"42. अपीलार्थी के विद्वान वकील-मुकेश ने अपने तर्क में काफी जोर दिया कि पीडब्लू-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने एक हमलावर का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा था, जिसने उसे चाकू मारा था और पीडब्लू-1 के इस बयान

का स्पष्ट रूप से मतलब था कि उसे हमलावर ने चाकू मारा था, जिसके सामने उसने काले रंग के व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था, जिसके चेहरे पर कट का निशान था और इसलिए उक्त अपराध करने में मुकेश की कोई भूमिका नहीं थी। अदालत को एक गवाह की पूरी गवाही का समग्र दृष्टिकोण अपनाना होता है, जिसमें उसकी मुख्य परीक्षा के साथ-साथ उसकी प्रतिपरीक्षा भी शामिल होती है। पीडब्लू-1 ने जाँच में अपना सबूत देते हुए स्पष्ट रूप से चारों अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान की थी जो उक्त घटना में शामिल थे और जिरह में उसने केवल इतना कहा था कि उसने केवल एक हमलावर का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा था जिसने उसे चाकू मारा था। उसकी प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-1 के उक्त बयान से केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि जहाँ तक एक हमलावर के चेहरे का सवाल है, वह उसे अधिक स्पष्टता के साथ देख सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने अन्य हमलावरों के चेहरे नहीं देखे थे या वह अन्य हमलावरों की पहचान करने की स्थिति में नहीं था, हो सकता है कि उनके अन्य विवरणों की मदद से हो।

उनकी ऊँचाई, चाल और चलने का तरीका आदि। हम इन अपीलार्थियों के वकील द्वारा उठाए गए उक्त तर्क को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उक्त अपराध के वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए इन व्यक्तियों को फंसाने के लिए पीडब्लू-1 का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त विवाद में कोई बल नहीं देते हैं।"

[जोर दिया गया] 75. हालाँकि अपीलार्थी दोषी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में कहा कि उसने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि चश्मदीद गवाहों ने उसे पहले ही देख लिया था, फिर भी एक गंजे दावे के अलावा, इस तरह के स्पष्टीकरण को रोकने के लिए कोई अन्य आधार नहीं रखा गया है। यह सच है कि यह स्पष्टीकरण कि जब न्यायालय उसके आगे के बयान में दोषपूर्ण सामग्री के साथ उसका सामना करता है, तो अभियुक्त को संभावना की प्रधानता पर परखा जाना चाहिए, न कि उचित संदेह से परे सबूत पर। हालाँकि, संभावना की प्रधानता पर उत्तर का परीक्षण करते समय भी इस तरह के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए कुछ नींव रखनी होगी। केवल एक गंजा दावा पर्याप्त नहीं है।

76. मामला यहीं नहीं रुका है। अपीलार्थी दोषी के खिलाफ कुछ और भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को 20.08.2008 पर गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी के समय, कहा जाता है कि उसने एक्स में दर्ज एक प्रकटीकरण बयान दिया था। पी. डब्ल्यू. 10/ए. बयान ऑफ एनस यानी आइस पिक के हथियार से संबंधित था जो अंततः उनके घर से खोजा गया था। आइस पिक की वास्तविक खोज के संबंध में दर्ज की गई कार्यवाही एक्स के रूप में है। पी. डब्ल्यू. 10/वी. के बारे में कहा जाता है कि यह बयान अपीलार्थी दोषी द्वारा पी. डब्ल्यू. 10 एस. आई. अरविंद प्रताप सिंह के समक्ष दिया गया था, जिसके कारण इस तथ्य की खोज हुई अर्थात् बर्फ की खोज की खोज हुई। पीडब्लू 10 ने अपनी मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार अपदस्थ किया है:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"शाम को आई. डी. 1 पर मैं आई. एस. पी. टी. के साथ। राम चंदर और सी. टी. बालजीत जाँच के लिए आगे बढ़े और जब हम आउट गेट, आज़ादपुर मंडी पहुंचे तो मुखबिर हमसे वहाँ मिला और उसने बताया कि इस मामले में वांछित चौथा आरोपी मॉल गोदाम के पास प्याज के शेड के पीछे मौजूद है, अगर छापा मारा गया तो उसे पकड़ा जा सकता है। इस जानकारी पर आई. ओ. ने 4-5 सार्वजनिक व्यक्तियों को जांच में शामिल होने के लिए कहा लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ और अपना नाम और पता बताए बिना चला गया। इसके बाद हम गुप्त मुखबिर के साथ रेलवे ट्रैक, मॉल गोदाम के पास इनिशन शेड के पीछे और वहाँ से 935 पर पहुंचे।

मुकेश सिंह बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 936

गुप्त मुखबिर हमने आरोपी मुकेश सिंह को गिरफ्तार किया, जिसका नाम पूछताछ के बाद पता चला और जो आज अदालत में मौजूद है। उनसे पूछताछ की गई और पूर्व ज्ञापन के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पीडब्लू 10/आर और उनकी व्यक्तिगत खोज एक्स के माध्यम से की गई थी। पी. डब्ल्यू. 10/एस. दोनों पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर हैं और उन्होंने प्रकटीकरण कथन एक्स बनाया। पी. डब्ल्यू. 10/टी. पर बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर थे। अभियुक्त को मफल चेहरे में रखा गया था। इसके बाद आरोपी हमें मौके पर ले गया यानी डी ब्लॉक कॉर्नर आज़ादपुर मंडी, एसटीडी पीसीओ दुकान के सामने और मेमो एक्स की ओर इशारा करते हुए घटना स्थल की ओर इशारा किया। बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर वाले पीडब्लू 10/यू. इसके बाद आरोपी हमें अपने घर यानी एच. एन. यू. ले गया। 101, रवि दास कॉलोनी, सराय पीपल थाला और वह हमें ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में ले गए और रुपये निकाल लिए। 7, 000/- एक लोहे के डिब्बे और एक आइस पिक (एस. यू. ए.) से और आई. एस. पी. टी. को सौंप दिया। राम चंदर ने बताया कि यह राशि रु। 7, 000/- रुपये की लूटी गई राशि में से शेष राशि है। 14,

800/-। उन्होंने यह भी बताया कि बर्फ का चयन वही था जिससे उन्होंने पीड़ित को चोट पहुँचाई थी। रु. 7, 000/- में Rs.1000 मूल्यवर्ग के सात मुद्रा नोट होते हैं। इन्हें एक लिफाफे में डाल दिया गया और आर. सी. एस. की मुहर से सील कर दिया गया और मेमो एक्स के माध्यम से जब्त कर लिया गया। बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर वाले पीडब्लू 10/वी. आई. ओ. ने 'सुआ' का रेखाचित्र तैयार किया और उसी को मापा। इसकी लंबाई 22.5 सेमी, चुभन की लंबाई 12 सेमी और हैंडल की लंबाई 10.5 सेमी पाई गई। रेखाचित्र Ex है। बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर वाले पीडब्लू 10/डब्ल्यू को पुलेंडा में डाल दिया गया और आरसीएस की मुहर से सील कर दिया गया और बिंदु ए पर मेरे हस्ताक्षर वाले ज्ञापन Ex.PW10/X को जब्त कर लिया गया। उपयोग के बाद सील को सीटी को सौंप दिया गया। बलजीत और जाँच पूरी करने के बाद अभियुक्तों को पुलिस चौकी लाया गया और अभियुक्तों को हवालात में भेज दिया गया और मामले की संपत्ति मालखाने में जमा कर दी गई।"

[जोर दिया गया] 77. इस प्रकार उपरोक्त एक अतिरिक्त परिस्थिति है जो अपीलार्थी के अपराध की ओर इशारा करती है और साथ ही साथ विचारण न्यायालय के समक्ष पीडब्लू 1 द्वारा उसकी पहचान के मूल साक्ष्य को विश्वास दिलाती है। 78. भले ही हमें इस आधार पर खोज के साक्ष्य को खारिज करना पड़े कि खोज के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, फिर भी यह तथ्य कि अपीलकर्ता पुलिस दल को अपने घर ले गया और हमले के समय इस्तेमाल किए गए बर्फ को सौंप दिया, उसका प्रतिबिंब होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

आचरण करें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के आधार पर, एक अभियुक्त का आचरण प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य से प्रेरित या प्रेरित है। इस परिस्थिति का साक्ष्य, सरलतर, कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को उस स्थान की ओर इशारा किया था, जहाँ उसने ऑफ-एनस यानी आइस पिक के हथियार को छुपाया था, धारा 8 के तहत आचरण के रूप में स्वीकार्य होगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपीलार्थी दोषी द्वारा समकालीन रूप से या इस तरह के आचरण के लिए पूर्ववर्ती बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में आता है या नहीं। भले ही हम यह मानते हैं कि ऊपर निर्दिष्ट अपीलार्थी दोषी द्वारा दिया गया खोज कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य नहीं है, फिर भी यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक है।

79. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी दोषी के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में सक्षम नहीं है। हम अपीलार्थी दोषी को कथित अपराध का दोषी ठहराने में निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क से आश्चस्त हैं।

80. परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

81. इस अपील की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि अपीलार्थी एक बहुत ही गरीब परिवार से है और पिछले सोलह वर्षों से अधिक समय से सजा काट रहा है। दूसरे शब्दों में, वह पिछले सोलह वर्षों से जेल में है। हम इसमें अपीलार्थी को समय से पहले रिहाई के लिए राज्य के सक्षम प्राधिकारी (एन. सी. टी. दिल्ली) को संबोधित अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यदि इसमें अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन पसंद किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया करेगा और कानून के अनुसार एक उचित निर्णय लेगा, विशेष रूप से ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर छूट के संबंध में छूट के समय प्रचलित नीति के अनुसार और आगे इसे बिना किसी असफलता के लिखित रूप में अपीलार्थी को सूचित करेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज की जाती है।

अंकित ज्ञान